हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 सितम्बर, 1990

खण्ड 3, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 3 सितम्बर, 1990

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)9
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)37
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(1)42

घोशणाएं:–	
(क) अध्यक्ष द्वारा:–	
(i) सदस्य का त्याग पत्र	(1)47
(ii) पैनल आफ चेयरमैन	(1)47
(ख) सचिव द्वारा:–	
राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)47
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ा करना	(1)48
वाक आउट	(1)51
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर मतदान	(1)52
सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र	(1)52
वर्श 1984–85 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे पे ा करना।	(1)53
वि ोशाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवदेन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना:–	
(i) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरूद्ध	(1)54

(ii) श्री इंद्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0एल0एज0 के विरूद्ध	(1)54
(iii) साप्ताहिक पींग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रका ाक श्री डी0आर0 चौधरी के विरूद्ध	(1)55
(iv) चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैडकांस्टेब ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह, कांस्टेबल के विरूद्ध	(1)56
(v) श्री रघु यादव, एम0एल0ए0 (अब भूतपूर्व एम0एल0ए0) के विरूद्ध	(1)57
वर्श 1984–85 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(1)58
अनैक्सचर–ए	(1)60

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 3 सितम्बर, 1990

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब औबिचुअरी रैफरैन्सिज होंगे।

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान और इस सै ान के अर्से के बीच कुछ महानुभाव स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं उनके लिए औबिचुअरी रैजोल्यू ान पे ा करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक तथा पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री बलवन्त सिंह की 10 जुलाई, 1990 को चण्डीगढ़ में की गई दु:खद हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बलवन्त सिंह का जन्म 2 मई, 1929 को जिला कपूरथला के गांव सैदपुर में हुआ। वह 1962, 1967, 1969, 1977,

1980 तथा पुनः 1985 में पजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1967 में आबकारी एवं कराधान मंत्री तथा 1969 में वित्त मंत्री रहे। वह 1977 में पुनः मंत्रिमंडल में रहे। उन्होंने पंजाब की समस्या को सुलझाने में 1985 के राजीब लौंगोवाल समझौते की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1985 में पुनः बरनाला मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाए गए।

उनके निधन से दे ा एक योग्य प्र ाासक तथा अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री धर्मवीर वि ाश्ठ, भूतपूर्व संसद सदस्य, हरियाणा

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मवीर वि ाश्ठ के 28 अप्रैल, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री धर्मवीर वि ाश्ठ का जन्म 15 जून, 1916 को जिला फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ। उन्होंने 1941 में आई0सी0एस0 में कार्य–ग्रहण किया, फिर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। वह 1954 से सूरदास स्मारक समिति के संस्थापक–अध्यक्ष रहे। वह जनरल लेबर कौंसिल, इन्टक फरीदाबाद के चेयरमैन तथा हरियाणा हरिजन

सेवक संघ के सदस्य भी रहे। वह 1952–57 में पंजाब विधान सभा के सदस्य थे तथा 1977 में वह लोक सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हे।

स्वामी रामे वरानन्द सवरस्वती, भूतपूर्व संसद सदस्य, हरियाणा

यह सदन संसद क भूतपूर्व सदस्य स्वामी रामे वरानन्द सरस्वती के 8 मई, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

स्वामी रामे वरानन्द का जन्म उत्तर प्रदे ा के एक ग्रामीण परिवार में हुआ। उन्होंने 15 वर्श की आयु में गृह त्याग दिया। उन्होंने स्वतन्त्रता संघर्श में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गए। उन्हौंने 1929 में घरौण्डा (करनाल) में गुरूकुल की स्थापना की। वह हिन्दी भाशा के प्रबल समर्थक थे तथा 1957 में उन्होंने हिन्दी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने भाश के अधार पर पंजाब का विभाजन करने के विरोध में अन ान किया। वह 1962 में करनाल से लोक सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से दे ा एक स्वतन्त्रता सेनानी, हिन्दी आन्दोलन के प्रबल समर्थक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

श्री के0एन0 गुलाटी, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व विधायक श्री के0एन0 गुलाटी के 9 अप्रैल, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री के0एन0 गुलाटी का जन्म 31 अक्तूबर, 1923 को हुआ। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल गए। वह 1972 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने समाजवाद लाने तथा गरीबी हटाने के विचार से घर–घर जाकर मजदूर वर्ग की सेवा की। उन्होंने इन्टक, व्यापार मंडल तथा कांग्रेस सम्मेलनों में अनेक स्थानों पर भाग लिया।

उनके निधन से दे ा एक अनुभवी विधायक तथा स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

दादा गणे ाी लाल, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी दादा गणे ी लाल के 21 जून, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

दादा गणे ी लाल का जन्म दिसम्बर 1900 में पटियाला में हुआ। वह 1925 में नौकरी में आए परन्तु स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वह 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 4 वर्श जेल में रहे। वर्श 1975 में आपातकाल के दौरान वह पुनः जेल गए।

उन्होंने श्री विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जिला हिसार मे ंइस आन्दोलन की सफलता में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उनका श्री जय प्रका ाा नारायण के साथ निकट का संबंध रहा। एक बार श्री जय प्रका ा नारयाणने उन्हें 'दादा गणे ी लाल' के नाम से संबोधित किया। तब से उन्हें सभी द्वारा दारा गणे ी लाल कहा जाने लगा। उन्होंने न ाबन्दी के विरूद्ध हरियाणा में अभियान चलाया। उनकी प्रेरणा से 1960 में हिसार में सर्वोदय पुस्तकालय की स्थापना हुई तथा सर्वोदय भवन का निर्माण हुआ जो एक सांस्कृतिक केन्द्र बन गया है।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अन्य व्यक्ति

यद सदनः–

श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी, संसद सदस्य

श्री के0एस0 हेगड़े, लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष

श्री लालडेंगा, मिजोरम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

श्री सज्जन सिंह मरगिंदपुरी, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव

चौधरी धर्म सिंह राठी, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक

श्री नारायाण सिंह भााहबाजपुरी, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक

श्री कंवर लाल भार्मा, संयुक्त पंजाब की भूतपूर्व विधान परिशद् के सदस्य

श्री लोकनाथ जो ी, लोक दल के महासचिव और समाजवादी विचारक

श्री बी0टी0 रणदिवे, प्रमुख मार्कसवादी नेता तथा

पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी, प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र और आज के सत्र के बीच में जो महानुभाव संसार को छोड़ कर चले गए हैं, उनका उल्लेख परिपाटी के अनुसार सदन में होता है। मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करना चाहता हूं। इन भाोक प्रस्तावों में सबसे पहले श्री बलवंत सिंह जी का भाुभ नाम है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी पंजाब में और चण्डीगढ़ में भाांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। निर्दोशों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। बलवन्त सिंह जी 1962 में पहली बार पजाब विधान सभा में चुन कर आए थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भी उस समय पंजाब विधान सभा का सदस्य था। वे राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी करते थे। यह अलग बात है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों उन्हें कांग्रेस की टिकट पर जिता कर लाए थे। वे बड़े गुणवान व्यक्ति थे। वे हर मामले में अकालियों की तरफ से अगुवा रहे हैं। संत लौंगोवाल राजीव जो समझौता पंजाब के बारे में हुआ था उसमें भी वे आगे रहे थे। यह अलग बात है कि वह समझौता हरियाणा के खिलाफ था। यह बहुत ही दु:ख की बात है कि उनकी हत्या उनके घर के आसपास की गई।

यह बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन पर भाान्ति व्यवस्था कायम करने का दायित्व है वे अभी तक भाान्ति व्यवस्था कायम करने में विफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस भाोक प्रस्ताव में दूसरे नम्बर पर पं0 धर्मवीर वि ाश्ठ जी का नाम भाामिल है। वे सीही गांव के रहने वाले थे। वे 1977 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। सीही गांव संत सूरदास जी का गांव भी रहा है। वे बड़े योग्य और विद्वान व्यक्ति थे। वे बहुत ही बुद्धिमता पूर्वक तरीके से अपनी बात कहते थे। वे भी हमें छोड़ कर इस संसार से चले गए हैं, इस बात का मुझे बड़ा खेद है।

अध्यक्ष महोदय, इन महानुभावों में स्वामी रामे वरानन्द जी का नाम भी भाामिल है। उन्हें 1957 में पहली बार विधान सभा के आने का मौका मिला। वे उस समय के उन 5 सन्यासियों में से एक रह हैं जिन्होंने पंजाब विधान सभा के सामने हिन्दी भाशा के लिए सत्याग्रह किया। वे बलिदान देने में सबसे आगे रहे हैं। करनाल में जो गुरूकुल है, उसके वे संस्थापक थे। वे इतने अधिक लोकप्रिय थे कि जनसंघ की टिकट पर लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। उनका जन्म तो उत्तर प्रदे ा में हुआ लेकिन उनका कार्यक्षेत्र घरौण्डा और उसके आसपास रहा है।

श्री के0एन0 गुलाटी फरीदाबाद निवासी का भुभ नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में भाामिल है। स्पीकर सर, 1972 में ये हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका एक आद र्ा बड़ा अनुकरणीय है। हर लड़की के ब्याह में जाना और एक रूपया कन्यादान देना और यह कहना कि मेरी इससे फालतू हस्ती नहीं है। चाहे कुछ भी हो उनकी कम खर्ची की तो दाद देना चाहिए।

इसी प्रकार से हिसार के विख्यात समाज और मास्टर जी के जो पुराने साथी रहे हैं दादा गणे ाी लाल जी, उनका भुभ नाम भी इस सूचि में है। वे बड़े आद र्ावादी व्यक्ति थे। स्पीकर सर, आपने तो भाायद उनके द र्ान किए हैं या नहीं लेकिन मैंने उनके द र्ान किए हैं। राम जी में उनका निवास रहा करता था। वे अपने हाथ से भोजन बनाया करते थे। वे दिन भर जनता जनार्दन की सेवा किया करते थे और डा0 राम मनोहर लोहिया जी के अनन्य भक्तों में से थे। स्वतन्त्रता संग्राम के समय वे युवा थे। समाजवादी और ऐसे लोगों का संगठन जो वास्तव में भारत के भाोशितों के लिए संघर्श किया करते थे, उनमें से आप एक थे। आजादी के बाद और लोगों ने तो जेल जाने की या अपनी कुर्बानी की कोई कीमत वसूल कर ली होगी लेकिन वे आद र्ावादी व्यक्तित्व थे, थैला लटकाए हुए दिन भी घूमते रहते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। इन्हीं महानुभावों के कारण ही इस दे ा की जनता ने आजादी की जंग की प्रेरणा पाई।

स्पीकर सर, इसमें एक लम्बी सूचि है जिसमें श्री के0एस0 हेगडे का नाम भाामिल है। वे भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष थे। वे कर्नाटक के रहने वाले थे और सन् 1977 में लोकसभा के सदस्य बने थे। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीनियोरिटी को बाईपास करके अपने एक चहेते को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था तो खन्ना साहब के साथ त्याग पत्र देने वाले ये साहसी व्यक्ति भी थे। (विघ्न) ये लोक सभा के स्पीकर भी रहे। इस सूचि में, इस सदन के तो नहीं पंजाब असैम्बली के और समालखा से चुने गए धर्म सिंह राठी का नाम भी भाामिल है। उनका व्यक्तित्व बड़ा निर्भीक था और वे जुल्म और अन्याय के खिलाफ आजीवन संघर्श करते रहे। स्पीकर सर, मैंने देखा कि उनकी ज्योति जाती रही लेकिन फिर भी वे अपने काम से पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार से इस सूचि में नारायण सिंह भााहबाजपुरी और पंजाब असैम्बली के कुछ और मैम्बरों का भी उल्लेख है।

स्पीकर सर, मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के नाम सूचि में नहीं लिखे गए हैं उनके नाम भी इस सूचि में भाामिल करने की मेहरबानी करें। कोसली गांव में कुछ लोगों को मार दिया गया। वे लोग एक बालिका के साथ कुकर्मियों के अत्याचार के विरोध में पुलिस थाने गए थे। पुलिस ने बजाय उनकी बात सुनने के उन को मार दिया और वे लोग संसार से चले गए। उन मारे गए लोगों के नाम भी इस सूचि में

भाामिल किए जायें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से भट्टू कलां में जो हरिजन नौजवान मारे गए उनके नाम भी भाामिल कर लिए जाएं। करनाल में भी दो लोगों की हत्या कर दी गई। मैं चाहूंगा कि इस सूचि में उनके नाम भी भाामिल कर लिए जाएं। इन भाब्दों के साथ मैं इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, हम तकरीबन 6 महनी के बाद मिल रहे हैं। जैसे यहां की परिपाटी रही है कि इस दौरान जो महानुभाव हम से बिछुड़ जाते हैं उनको श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, उस परिपाटी का अनुसरण करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भाोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से तथा अपनी ओर से इन महानुभावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

इसमें, सबसे पहले सरदार बलवन्त सिंह, भूतपूर्व मंत्री पंजाब का नाम आया है। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने उनके जीवन पर काफी रो ानी डाली है। अफसोस का विशय हे कि इनको आतंकवाद का ि ाकार बनाया गया लेकिन यह हर्श का विशय है कि कुछ समय पहले आतंकवाद, जिसके बारे में पार्टी नजरिये से दोशारोपण किया जाता था, की गम्भीरता को आज सच्चाई से पहचाना गया है। यह तो एक संतोश का विशय है। इसके साथ ही जहां तक बलवन्त सिंह जी का ताल्लुक है, वह

सच्चे मायनों में एक राजनीतिज्ञ रहे हैं। वह एक सच्चे इन्सान थे। उनकी भूमिका जो राजीव लौंगोवाल समझौते में रही हैं, वह इस बात का सबूत है। उन्होंने प्रदे ा के हित में अलगाववाद की भावना से ऊपर जो फैसला करवाया, उसका नतीजा उनका ि ाकार होने के रूप में हुआ। मैं यह समझता हूं कि आतंकवाद के रास्ते में जो कोई भी रूकावट बना है, उसको आतंकवादियों ने अपने रास्ते से हटाया है। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आज उसी के नतीजे के फलस्वरूव इस दे ाभक्त को उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसे आदमी को अध्यक्ष महोदय, मैं किन भाब्दों में श्रद्धांजलि अर्पि करूं, उसके लिए मेरे पास उचित भाब्द नहीं है।

इस लिस्ट में दूसरा नाम श्री धर्मवीर वि ाश्ठ का आया है। उनके चरित्र के बारे में डाक्टर साहब ने काफी कुछ कहा है। वह मेरे जिले के रहने वाले थे। जहां वे एक अच्छे कवि, एक कर्मठ समाजसेवी थे, वहां वे एक अच्छे इन्सान भी थे। वे एक बेवाक और निर्भीक व्यक्ति थे। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बात बताता हूं। एक समय की बात है। ग्राम सेवक समाज कैरों साहब के समय में एक संस्था हुआ करती थी। चौधरी राम नारायण उसके अध्यक्ष थे। वह गांव गांव में जनता की ि ाकायतें सुनने के लिए जन–जागरण अभियान चलाया करते थे। ऐसे कैम्पों में भ्रश्टाचार की यदि कोई ि ाकायत हो, वह सामने लाई जाती थी। मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता

क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा था। वह राम नारायण जी के पास स्टेज पर बैठे थे। जब ि ाकायतों का सिलसिला भाुरू हुआ तो स्टेज पर राम नारायण जी उनके सैक्रेटरी और वे अफसर बैठे थे और बाकी सारे लोग दरियों पर नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने वहां पर खड़े होकर यह कहा कि मैं इस मीटिंग में इसलिए बैठना पसन्द नहीं करता क्योंकि यहां पर जिनको हम रक्षक मानते हैं, वे ही भक्षक के साथ बैठे हैं। उन्होंने यह कहा कि आप ि ाकायत की बात करते हो, आप ऐसे लोगों को बराबर बैठाते हो, मैं इस मीटिंग का बायकाट करता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वे ऐसे निर्भीक ओर बेवाक व्यक्ति थे। मैं उनको किन भाब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करूंग, मेरे पास उसके लिए उचित भाब्द नहीं है। ऐसे आदमी के जाने से खला को भरने का काम तो कुदरत का है।

तीसरे नम्बर पर रोम वरानन्द सरस्वती जी का नाम आया है। मेरा उनसे व्यक्तिगत वास्ता तो नहीं रहा है लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह एक स्वतन्त्रता सेनानी थे और हमारीी स्वतन्त्रता के आधार रहे हैं। इससे बड़ी बड़ाई या बड़प्पन भाायद ही किसी के लिए दूसरा हो कि उसने दे ा की आजादी के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। यह एक रस्म है कि हम ऐसे व्यक्तियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरे पास इससे ज्यादा उचित भाब्द नहीं हैं जो मैं उनके लिए पे ा कर सकता हूं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है:—

तुमने दिया दे ा को जीवन, तुम्हें क्या देगा।

अपनी आग तेज करने को, नाम तुम्हारा लेगा।।

स्वतन्त्रता की आग को प्रज्जवलित रखने के लिए हमारे पास उनकी यादें ही बाकी रह गयी है। स्वतन्त्रता सेनानी से बड़ा रूतबा मेरे ख्याल में और कोई नहीं है।

इसके बाद गुलाटी जी का नाम भी आया है। डाक्टर साहब ने उनके बारे में भी काफी कुछ कहा है। इस भाख्स ने बहुत सादा जीवन व्यतीत किया। इस व्यक्ति को रास्ते में कहीं पर पकड़ कर काम करने के लिए ले जाया जा सकता था। उस व्यक्ति के पास अपना कोई मकान भी नहीं था हालांकि वह 5 साल तक विधान सभा का मैम्बर भी रहा और उसका राजनीतिक जीवन भी काफी लम्बा रहा है। वे एक बहुत बड़े स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं। उनके बारे में एक बात म ाहूर थी कि गुलाटी जी के पास साइकिल और जेब में मोहर हर वक्त रहती थी। कोई सड़क पर घेर कर उनसे काम करवा सकता था। इतने सरल स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में कहां मिलते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दादा गणे ी लाल और कई दूसरे महापुरूशों का नाम इसमें आया है। मेरा उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क तो नहीं रहा लेकिन इन लोगों का जीवन समाज के साथ जुड़ा हुआ था। मैं इनको अपनी ओर से तथा पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन पे ा करता हूं और श्रद्धा सुमन पे ा करता

हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को भाांति और उनके परिवार के सदस्यों को इस महान दुःख को सहन करने की भाक्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज हम साढ़े पांच या पौने छः महीने के बाद इस हाउस में इकट्ठे हुए हैं। जो लोग इस बची हमको छोड़ कर चले गए हैं, मुख्य मंत्री जी की तरफ से उनके प्रति एक रैजोल्यू ान आया है। बड़े दुख की बात है कि जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने दे ा के लिए बहुत काम किए, दे ा की बहुत सेवा की और जिनके दिल में दे ा के लिए आग थी, वे आज हमारे बीच में नहीं है। यह बात कुदरती है कि जो भी इस संसार में आया है, उसको अव य जाना है। इनमें मेरे एक साथी हैं गुलाटी साहब, जो 1972 में मेरे साथ एम0एल0ए0 बनकर हाउस में आए थे। गुलाटी साहब इंडिपैन्डैंट जीते थे। जब गुलाटी साहब हाउस में आते थे तो मेरे ख्याल में कोई भी एम0एल0ए0 इतना तैयार होकर नहीं आता था जितना गुलाटी साहब तैयार होकर आते थे। वे हर क्वै चन पर और हर सबजैक्ट पर तैयार होकर आते थे। वे केवल फरीदाबाद की ही बात नहीं करते थे बल्कि सारे हरियाणा के बारे में क्वै चंज पूछते थे और सारे हरियाणा के बारे में बात करते थे। एक दफा मुझे फरीदाबाद जाने का मौका मिला। गुलाटी साहब, फकीर आदमी थे। उनके पास पैसा नहीं था। जिस साईकिल पर वे जाया करते थे वह साईकिल

ऐसी थी जिसमें एक मडगार्ड था और एक नहीं था। ऐसी जिन्दगी गुलाटी साहब की थी।

इसी तहर से चौधरी धर्म सिंह राठी का केस है। वे आंखों से अंधे थे लेकिन जब भी वे हाउस में बोलते थे या सै ान कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट के पास केस आरग्यू करते थे तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे वे खुद सारा केस पढ़कर आए हैं।

इस लिस्ट में भााहबाजपुरी का नाम भी आया है। मेरा उनसे ज्यादा संबंध तो नहीं रहा, थोड़ा संबंध रहा है। ये सारे महापुरूध आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमसे विदा हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो रैजोल्यू ान हाउस में रखा है, उस पर सारी पोलिटिकल पार्टीज ने इनको श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार वालों से संवेदना प्रकट की हैं। मैं इस दु:ख में अपने आपको भारीक करता हूं और इन सभी दिवंगत महानुभावों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इनके परिवारों को हाउस की फीलिंग्ज पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इन महान आत्माओं की भाांति के लिए खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब क्वै चंज होंगे।

Defective Electricity Lines in District Rewari

***1162. Capt. Ajay Singh:** Will the Minister for Homee be pleased to state:-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that there is low-lying defective electricity lines in district Rewari; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to raise/ upward the aforesaid electricity lines?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) जून 1990 में जिला रिवाड़ी में भयंकर आंधी तूफान के कारण पोलों को क्षति पहुंची। पोल झुक गए जिसके परिणामस्वरूप बिजली की तारें ढीली पड़ गई तथा लाइनें नीचे की ओर झुक गई।

(ख) क्षतिग्रस्त खम्बों को बदलने एवं ढील (लूज) तारों (वायरों) को सीधा करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। जहां कहीं भी बीन्ड स्टेज खोए हुए पाए गए हैं, उन्हें पुनः लगाया जा रहा है। जहां कहीं भी तकनीकी दृश्टि से आव यक है अतिरिक्त वीन्ड स्टेज भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार के दोशों को तत्काल दूर करना सुनि चत करने के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर नए मकान बने हैं। पहले जो लाइनें बिछाई गई थीं, न बिजली के तारों की अलाइनमैंट ऐसी है कि इस समय वे मकानों के ऊपर से जा रही हैं या उन मकानों के साथ–साथ जा रही है। इस कारण उन मकानों में आग लगने की संभावना रहती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन तारों की अलाइनमैंट ठीक करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही हैं ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह ने अपने सवाल में पूछा था कि तारें ढीली पड़ गई हैं उनको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? लेकिन अब उन्होंने सप्लीमैंटरी द्वारा पूछा है कि तारें नीची हैं जिनसे आग लगने का खतरा रहता है और सरकार अब इस बारे में क्या करने जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सूचना दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं क तारें कुछ हाउसिज के ऊपर से या दीवार के साथ गुजर रही हैं। जब भाुरू में इलैक्ट्रिफिके ान हुई थी तो उस वक्त पूरे खम्भे नहीं लगे थे, अब हम धीरे–धीरे उनको रिप्लेस कर रहे हैं और जहां खम्भों की आव यकता है वहां हम खम्भे भी लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी के लिए साल का टारगैट साढ़े तीन लाख रूपए का था लेकिन अगस्त, 1990 तक हम 3.88 लाख रूपया खर्च कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हम टारगैट से भी ज्यादा खर्च कर चुके हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और लोहारू के जो दूर के इलाके हैं जोकि टेल पर लगते हैं, वहां पर अमूमन इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जिस कारण से इन इलाकों को कम बिजली मिलती है। क्या सरकार इन इलाकों को थर्मल प्लांट्स या सौर ऊर्जा केन्द्रों से जोड़ने का प्रावधान करेगी ताकि इन इलाकों में बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से मुहेया होती रहे ?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये इलाके चूंकि टेल पर हैं इसलिए इन इलाकों में बिजली की सप्लाई कम हैं। इसके अलावा कैप्टन साहब ने तो रिवाड़ी जिले की दिक्कत के बारे में पूछा था जिसे हम दूर कर रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जहां तारें ढीली थीं व खम्भे खराब थे या जहां पर क्षति पहुंची है, उसको ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। क्या इस काम के लिए मंत्री महोदय बताएंगे कि कितने समय के अन्दर अन्दर यह काम पूरा करवा दिया जाएगा ?

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां ऐसी क्षति हुई थी, वहां पर 48 घण्टे के अन्दर अन्दर कार्यवाही कर दी गयी थी और तारें व खम्भे सीधे कर दिए गए थे।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, जो तारे और खम्भे सरकार की ओर से लगे हुए हैं, वे 40–40 साल पुराने हो

गए हैं और पुरानी तारें होने के कारण कई बार आग भी लग जाती है और खम्भे डैमेज हो जाते हैं, जिस कारण से लोगों को काफी परे ाानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी पुरानी तारों को बदलने के लिए सरकार क्या कोर्ठ समय भी निर्धारित करती है कि इतने समय के अन्दर अन्दर ऐसी तारों को रिप्लेस कर दिया जाएगा ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, टाईम लिमिट की कोई बात नहीं होती। इस तरह की क्षमि आमतौर पर रेतीले इलाकों में ही होती है। जहां जहां तारें वे खम्भे डैमेज हो जाते हैं जिनकी वजह से खराबी पैदा होती है, वहां वहां पर हम जल्दी से जल्दी तारों व खम्भों की रिप्लेसमैंट कर देते हैं।

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, जितनी भी हाई टैन् ान वायर्ज हैं, उनकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उन पर जरा सा भी लोड पड़े तो वे टूट जाती हैं और उनमें आग लग जाती है। क्या ऐसी वायर्ज को क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जो तारें इनके वक्त की थी, वे हमने बदल दी हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, उनको जल्दी ही बदल देंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को देहातों का काफी तजुर्बा है कि देहातों में आबादी बड़ी तेजी से

बढ़ रही हैं। जहां गांव के अन्दर फिरनियां थीं, वहां भी आज घर बन गए हैं और उन पुराने मकानों के ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं और वे लोग अपने घरों के ऊपर से तारें हटवाने के लिए जब एप्लाई करते हैं तो उनसे इसके लिए चार्जिज मांग जाते हैं। सरकार क्या कोई ऐसी स्कीम बनाने का विचार रखती है कि जिसके तहत बिना किसी चार्जिज के लिए, मकानों से बिजली की तारें हटवाने का प्रबन्ध किया जा सके ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मैम्बर साहेबान की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये व्यक्तिगत मामले हैं। पहले गांव में जहां लैन्ड थी, उस पर अब लोगों ने प्लाट खरीद कर मकान बना लिए हैं और जो आदमी व्यक्तिगत रूप से अपने मकान से तारे हटवाना चाहता हो, वह खर्चे की कौस्ट भर दे, हम तारें वहां से हटवा देंगे। एच0एस0ई0बी0 अपने खर्चे पर नहीं करता है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि रिवाड़ी जिले में तुरन्त खम्भे खड़े कर दिए गए थे। मैं जानना चाहता हूं क मेरे हल्के में जो रायपुर गांव हैं, जहां पर तीन साल से खम्भे टूटे हुए हैं, उनको बदलने के लिए कोई समय तय करेंगे ?

Mr. Speaker: It is not possible to give reply conerning a particular village without notice. You should have given a notice for it. Please take your seat now.

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हम सारे खम्भे बदलवा देंगे।

Mr. Speaker: No more supplementaries on this question now. Next question please.

Illegal Possession of Land of Durvasa Temple, Faridabad

***1133. Sh. Sita Ram Singla:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any complaint regarding illegal possession of any land of Durvasa Temple in Village Aali-Brahmin, District Faridabad has come to the notice of the Government, if so, the acttion, if any, taken thereon?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): जिला फरीदाबाद के गांव आली ब्राहमण के दुर्वासा मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जे बारे ि ाकायत पत्र दिनांक 6–12–89 को उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) पलवल को प्राप्त हुआ और जिस पर जिला प्र ाासन ने तथ्यों के सत्यापन के प चात् अगले ही दिन भीघ्र कार्यवाही की और अवैध कब्जे को हटवा दिया।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में भी वहां पर अवैध कब्जा हटा नहीं हैं और इसलिए मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत है।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, यह मन्दिर खसरा नं0 117 में स्थित है और यह भूमि 5 कनाल 8 मरले है। वहां पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि खसरा गिरदावरी के मुताबिक वहां पर कोई कब्जा नहीं है। कहीं वह बात तो नहीं है कि हिसाब रहा ज्यों का त्यों फिर कुनबा डूबा क्यों ? तो मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, इन्हौंने यह जवाब दिया है कि जो भूमि मन्दिर के पास थी, उस खसरा नं0 से सारा अवैध कब्जा उठवा दिया है।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि यह मन्दिर खसरा नं0 117 में है और कुल भूमि 5 कनाल 8 मरले हैं। उसमें कोई नाजायज कब्जा नहीं है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनके हिसाब से किताबों में कोई कब्जा नहीं है लेकिन अगर मौक पर जाकर देखा जाए तो कब्जा है। तो क्या ये सदन को आ वासन देंगे कि इस बात की पड़ताल करके तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस खसरे में नाजायज कब्जा हटा दिया गया है। फिर भी अगर इनके नोटिस में कोई बात हो तो हमें बताएं, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री कैला I चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि खसरा नं0 117 में मंदिर स्थित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई और जमीन भी मंदिर को दी हुई है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, यह जमीन जुमला मालिकान की है और 1225 आदमी इसके मालिक हैं। यह पंचायत की जमीन नहीं है और न मन्दिर के नाम है, यह तो जुमला मालिकान की है।

श्री सीताराम सिंगला: स्पीकर साहब, उस मंदिर के पास एक कुंड है जिसमें पानी भरा होता है। जो लोग मन्दिर के द र्शन करने आते हैं वे उस कुंड से आचमन लेते हैं। उस जमीन पर भी नाजायज कब्जा है, क्या मुख्य मंत्री जी उस कब्जे को हटवाने का आ वासन दिलाएंगे ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, खसरा नं0 116 में जोहड़ था, उसमें लोगों का नाजायज कब्जा है। वहां पर पुराने मकान बने हुए हैं। वह जोहड़ की जमीन जुमला मालिकान की है। वे दीवानी अदालत में जाएं और कब्जा हटवाए।

Mr. Speaker: Singla Sahib, the question is regarding illegal possession of any land of the temple.

श्री सीता राम सिंगला: स्पीकर साहब, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह जोहड़ नहीं है, वह कुण्ड है

और वह भी उस मंदिर से संबंधित है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए अदालत में जाएं। (ाोर)

Mr. Speaker: The question is regarding the land of Durvasa Temple and it has been replied that encroachment thereon has ben removed.

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अदालत में जाएं। वहां के लोग अदालत में गए है और अदालत ने उस जमीन का फैसला कर दिया है कि वह जमीन मंदिर की है। उस जमीन पर नाजायज कब्जा है। इसके अलावा डी0सी0 और नीये के रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने भी उस जमीन पर नाजायज कब्जा बताया है। उसके बावजूद भी उस मंदिर की जमीन से नाजायज कब्जा नहीं हटाया गया है। मुख्य मंत्री जी इस बारे में स्थिति स्पश्ट करें।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, वह जो जोहड़ है वह खसरा नं0 116 में है और वह भी जुमला मालिकान की ही जमीन है लेकिन वह मंदिर की जमीन नहीं है।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, जो जुमला मालिकान की जमीन है उस जमीन में से ही उस जोहड़ के लिए मंदिर को जमीन दान में दी हुई है और उस जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है। क्या सरकार उस नाजायज कब्जे को हटाने के बारे में कोई विचार कर रही है ?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, जो खसरा नं0 116 है वह भी जुमला मालिकान की जमीन है लेकिन उस जमीन का मंदिर से कोई संबंध नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में बहुत दिनों से यह समस्या बनी हुई है। मुख्य मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया भी है कि उस मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जे बारे ि ाकायत उप मण्डल अधिकारी को प्राप्त हुई थी। उस जोहड़ की जमीन खसरा नम्बर 116 में है और उस मंदिर की जमीन खसरा नम्बर 117 में हैं और वह ि ाकायत भी खसरा नम्बर 116 और खसरा नम्बर 117 के संबंध में थी। जोहड़ और मंदिर की जमीन जुमला मालिकान ने जोहड़ और मंदिर के लिए जमीन दान में दी हुई है। वहां के लोगों ने एस0डी0एम0 को यह ि ाकायत की हुई है कि जोहड़ और मंदिर की जमीन पर नाजायज कब्जा है उसको हटवाया जाए। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस नाजायज कब्जे का हटाने के बारे में कोई विचार कर रही है।

Mr. Speaker: There is a procedure for getting ejectment.

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो जोहड़ की जमीन है वह जुमला मालिकान की जमीन है। उस जमीन का पंचायत से कोई

संबंध नहीं है। उस पर से नाजायज कब्जा हटवाना दीवानी अदालत का काम है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने ठीक फरमाया है कि सिविल कोर्ट खुली हुई है वहां जाएं और फैसला करवा लें। आनरेबल मैम्बर ने आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को बताया है कि उस जमीन के बारे में कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वह नाजायज कब्जा है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि उस जमीन के बारे में कोर्ट का फैसला हो चुका है और कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वह नाजायज कब्जा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रे ान के नोटिस में भी यह बात है ओर उन्होंने मौके पर जा कर यह कहा है कि उस जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों को हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी वह नाजयज कब्जा नहीं हटाया गया है।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का यह सवाल था कि मंदिर की जमीन पर जो नाजायज कब्जा है उसको हटाया जाए। मैंने उसका जवाब दिया है कि वह कब्जा हटवा दिया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि उस मंदिर की जमीन पर कोई कब्जा नहीं हैं और आदरणीय साथी कह रहे हैं कि कब्जा है। मैं आपके द्वारा मुख्य

मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्यों ने हाउस के मैम्बर साहेबान की एक कमेटी बना दी जाए ताकि वह इस बारे में सारी स्थिति स्पश्ट कर दें।

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने कई बार स्पश्ट तौर पर कहा है कि मंदिर की जमीन पर अब कोई नाजायज कब्जा नहीं है।

तारांकित प्र न नं0 1155

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री हरनाम सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Cost of Generating Power

***1139. Sh. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) whether the Govt. is aware of the fact that the cost of generating power per unit in the State is more than that of other States; and

(b) if so, the reasons thereoff togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken to bring down the cost of generating powr in the State?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question on which has been granted. The Communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

Interim reply

D.O. No. 1/16/90-1MI&P

"Prof. Sampat Singh

गृह मंत्री

हरियाणा सरकार

चंडीगढ़

Home Minister

Govt. of Haryana

Chandigarh.

Dated:- Chandigarh, 2-9-90

Subject:- Starred Assembly Question No. 1139-by Sh. Ram Bilas Sharma, M.L.A.

My dear Sh. Chatha Sahib.

The question is due for 3rd September, 1990. Cost of genertion is compiled by Central Electricity Authority of Government of India. The latest figures available pertain to the year 1987-88. No useful comparision can be made as these figures are quite old. The figure for the year 1989-90 onwards have not yet been compiled by Central Electricity Authority. The collection of information directly from over 15 States/Cnetral Sector Unit wil take some time.

2. It is requested that one month's time may kindly be given for collection of information.

With regards,

Yours sincerely

Sd/-

(SAMPAT SINGH)

Sh. Harmohinder Singh Chatha,

Speaker Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

132 K.V. Power House at Badhra

***1177. Sh. Ran Singh Mann:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set-up a 132 K.V. Power House at Badhra; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Power House is likely to be set-up?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) हां जी।

(ख) बाढड़ा में 132 के0वी0 उपकेन्द्र को वर्श 1991–92 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढड़ा में जो 132 के0वी0 सब

स्टे ान वर्श 1991–92 तक पूरा करने का प्रस्ताव है उसका सिविल और मकैनिकल वर्कस किस लैवल पर है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, उसके लिए एच0एस0ई0बी0 लैंड का पोजै ान ले चुका है। टैंडर भी ऐप्रूव हो गए हैं। सिविल वर्क जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा।

श्री रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जहाजगढ़ में 132 के0वी0 सब स्टे ान बनाने की सरकार की कोई प्रोपोजल है, अगर है तो वह कब तक बनना भ्रुरू हो जाएगा ?

Mr. Speaker: It is not possible to remember all this.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आापके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्श 1991–92 में हरियाणा राज्य में कुल कितने 132 के0वी0 सब स्टे ांज स्थापित किए जाने की प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इस वर्श हरियाणा राज्य में आठ 132 के0वी0 सब स्टे ांज स्थापित किये जाने की प्रोपोजल है और नौ 132 के0वी0 सब स्टे ांज की औगमैंटे ान करनी है।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढड़ा में जो 132 के0वी0

सब स्टे ान वर्श 1991–92 तक बनाने का प्रस्ताव है उसका किस लैवल पर काम चल रहा है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया है कि उसके लिए एच0एस0ई0बी0 ने लैंड का पोजै ान ले लिया है। टैंडर ऐप्रूव हो गए हैं। सिविल वर्कस का काम जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा।

Repair of Rainy Streams in Faridabad

***1151. Sh. Kundan Lal Bhatia:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the Rainy Streams (Nalas) in Faridabad are not working properly;

(b) if so, whether there is any scheme under consideration of the Govt. to remodel the afore-said streams; and

(c) if so, the time by which these are likely to be emodelled?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

***Interim Reply**

D.O. No. 52/5/90/2

"Subhash Katyal Local Govt. Minister,

Haryana, Chandigarh.

September, 3, 1990

My dear Sh. Chatha,

Starred Assembly Question No. 1151 by Sh. Kundan Lal Bhatia, M.L.A., relating to repair of rainy streams in Faridabad, is fixed for reply today. It has been forwarded to me by the Home Minister for reply on 2-9-1990. The material is being collected. This will take a few days. I, therefore, request for postponement of this Question by one week.

With regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Subhash Katyal)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Registration for Ayurvedic Medical Practitioners/ Doctors

***1129. Seth Lachman Dass Bajaj:** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to

revive the policy of the registration of Ayurvedic/Unani Practitioners in the State?

चिकित्सा ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती मेधावी कीर्ति): नहीं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने आयुर्वेदिक/यूनानी प्रैक्टि ानर्ज की रजिस्ट्रे ान पुनः खोलने के बारे में अपना जवाब नहीं में दिया है। आज की बढ़ती हुई आबादी की मांग को देखते हुए इस तरह की जो मांग लोगों की तरफ से आ रही है क्या उसको ध्यान में रखते हुए यह रजिस्ट्रे ान पुनः खोलने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती मेधावी कीर्ति: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहूंगी कि 1–10–1976 को सेन्ट्रल काउंसिल और इंडियन मैडिसन्ज ऐक्ट भारत सरकार ने निर्धारित किया था जिसके अन्तर्गत सैक ान 17 के तहत सिर्फ ि ाड्यूल 2, 3 और 4 में जो क्वालिफिके ांज रखी है उन्हीं को पूरा करने वाले लोगों को आयुर्वेदिक/यूनानी प्रैक्टि ानर्ज के लिए रजिस्टर किया जाता है। यह ऐक्ट सारी स्टेटस में भारत सरकार ने लागू किया है। जहां तक मांग आने की बात है, इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई मांग नहीं आई। अगर आई तो उस पर विचार किया जाएगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इन लोगों की

रजिस्ट्रे ान के लिए जो क्वालिफिके ान रखी गई है क्या उसमें कोई लकूना तो नहीं है ? अगर कोई लकूना है तो क्या उसमें सुधार करने बारे ये विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि पहले आयुर्वेदिक/यूनानी प्रैक्टि ानर्ज को ऐक्सीपीरिएंस के आधार पर रजिस्टर कर लिया जाता था लेकिन 1976 में भारत सरकार ने ऐक्ट पास करके कुछ क्वालिफिके ांज रखी है। अब केवल उन्हीं लोगों का नाम रजिस्टर किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा रखी गई भार्तों को पूरी करते हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डिग्री होल्डर होगा केवल उसी का नाम रजिस्टर किया जा सकेगा।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इसके तहत रजिस्टर किए गए हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर रजिस्ट्रे ान कराए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ?

Mr. Speaker: Sharma Ji, it is not possible to reply this question.

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो बगैर रजिस्ट्रे ान के अपना काम कर रहे हैं ?

श्रीमती मेधावी कीर्ति: अध्यक्ष महोदय, अनुभव के आधार पर जिन प्रैक्टि ानर्ज को रजिस्टर किया गया है उनकी संख्या 11,377 है। बगैर रजिस्ट्रे ान के कितने लोग होंगे इसका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है ?

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त साधु संतों का प्रान्त रहा है। यहां पर कुरूक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ जहां पर श्री कृश्ण जी ने गीता का उपदे ा दिया। यहां के साधु और संतों के पास ऐसे अनेक नुस्खे हैं जो संसार में कहीं पर भी नहीं मिल सकते। यह बात मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जब ऐसे ऐसे नुस्खे यहां के लोगों के पास है, तो फिर इन लोगों की रजिस्ट्रे ान क्यों नहीं की जाती जबकि अन्य स्टेटों में ऐसे लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है ? ऐसे लोग बहुत ही सस्ते दामों में लोगों का ईलाज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को रजिस्टर करने पर मंत्री महोदया विचार करें।

श्री अध्यक्ष: बजाज साहब आप बैठें। यह कोई सप्लीमैंटरी नहीं है।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इनके विभाग में ऐसे कितने लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए ऐप्लाई किया है ? दूसरे जिन लोगों ने

ऐप्लाई किया हुआ है क्या उनके नामों को रजिस्टर करने पर विचार विम र्श हो रहा है ?

श्री हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया है कि पहले ऐक्सपीरिएंस के आधार पर रजिस्ट्रे ान होती थी। लेकिन 1976 में भारत सरकार का ऐक्ट बन जाने के बाद ऐक्सपीरिएंस के अधार पर ऐसे लोगौं की रजिस्ट्रे ान करने की प्रथा को बंद कर दिया गया। अब जो डिग्री होल्डर्ज हैं उनका नाम रजिस्टर किया जाता है यानी जो व्यक्ति भारत सरकार द्वारा रखी गई क्वालिफिके ांज पूरी करता है और जिसकी ऐप्लीके ान रजिस्ट्रे ान के लिए आती है उसका नाम रजिस्टर कर रहे हैं।

श्री कैला ा चन्द भार्माः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

Mr. Speaker: Sharma Sahib, when one is not eligible, how can he get himself registered? (Interruption).

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री महोदया ने कहा है कि अनरजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या बताना मु कल है लेकिन मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इस हाउस में कितने डाक्टर्ज है और क्या वे रजिस्टर्ड है या नहीं यदि वे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो क्या उनको प्रैक्टिस करने का लाईसैंस देंगे ? (हंसी)

श्रीमती मेधावी कीर्ति: जो अनरजिस्टर्ड डाक्टर्ज प्रैक्टिस करें उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है और उन्हें एक साल तक कैद की सजा हो सकती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप तो इसको सीरियसली ले गई। ये तो मजाक में बात कर रहे थे। Please take your seat.

Area of Land Irrigated by Canals in the State

***1185. Sh. Surinder Kumar Madan:** Will the Minister for Home be pleased to state the circlewise acreage of land being irrigated by canals in the State together with the quantity and the basis on which the water is supplied to each circle, separately?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under:-

Interim Reply

D.O. No. 1185-S.I.W.90

"Prof. Sampat Singh

गृह मंत्री

हरियाणा सरकार

चंडीगढ़

Home Minister

Govt. of Haryana

Chandigarh.

2nd September, 90

Subject:- Starred Assembly Question No. 1185.

My dear Sh. Chatha Sahib,

In continuation to my D.O. Letter No. 1185/SIW-90, dated 2-9-90 regarding Starred Assembly Quesitn No. 1185 fixed on 3-9-90 where-in, Sh. Surinder Kumar, MLA has desired the circlewise acreage of land being irrigated by canals in the State together with the quantity and the basis on which the water is supplied to each circle separately. This reply would include information for the entire canal system of the State which will take some time.

2. I would, therefore, request you to kindly give us one month's time for collection and compilation of the information.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Sampat Singh)

Sh. H.S. Chatha,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Polytechnic College, Uttawar

***1149. Sh. Bhagwan Sahai Rawat:** Will the Minister of State for Technical Education be pleased to state:-

(a) the present stage of construction work of Govt. Polytechnic at Uttawar (Faridabad) together with the anount earmarked for its construction during the current financial year; and

(b) the time by which the building of the aforesaid Polytechnic is likey to be completed and start functioning?

तकनीकी ि ाक्षा तथा आवासीय राज्य मंत्री (श्री क्रान्ति प्रका ा भल्ला): (क) तथा (ख): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि राजकीय बहुतकनीकी, उटावड़ के कार्य ााला ब्लॉक के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है और दूसरे इस वर्श निर्माण कार्यों के लिए 85.20 लाख रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है। मुझे पूरी आ ाा है कि सन् 1991 तक यह कार्य पूरा हो सकेगा और इस संस्थान को चालू करने की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस सवाल का जबाव जो इन्होंन तैयार कियाहै वह भारत द र्ान के दौरान तैयार किया है अथवा यहीं आकर तैयार किया है ? (विघ्न एव हंसी)

श्री कान्ति प्रका ा भल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सीनियर साथी को बताना चाहता हूं कि कई वर्श पहले लोग भारत द र्ान पर गए थे हम लोग भारत द र्ान पर नहीं गए। हम लोग

तो दिल्ली में थे। भाायद ये लोग भारत द र्ान पर गए होंगे। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, बी0जे0पी0 वाले तो इस तरह भारत द र्ान पर नहीं जाते। हम लोग तो हरियाणा द र्ान ही करते हैं। (हंसी)

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि राजकीय बहुतकनीकी, उटावड़ में जो एक कार्य ााला ब्लाक बना है उसके अतिरिक्त वहां पर कुल कितने ब्लाक्स बनाए जाएंगे, उन पर कितना काम हो चुका है, इस पर अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका है और कुल कितना व्यय किया जाना है ?

श्री कान्ति प्रका ा भल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इस सारे कार्य के लिए 137.80 लाख रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है। इस साल के लिए 85.20 लाख रूपये की रा ि ा रखी गई है। कार्य ााला ब्लाक का काम कम्पलीट होने जा रहा है। दूसरे भाग का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। मुझे पूरी आ ाा है कि सन् 1991 तक इस संस्थान को पूरा कम्पलीट कर देंगे और जुलाई, अगस्त, 1991 तक इसमें छात्रों को दाखिल करने की को ि ा ा करेंगे।

***1173. Sh. Kailash Chand Sharma:** Will the Minister for Eudcation be pleased to state:-

(a) wether any posts of the lecturers are lying vacant in the Govt. College, Narnaul; if so, the subject-wise number thereof and since when; and

(b) the time by which the aforesaidd posts are likely to be filled up?

ि ाक्षा मंत्री (श्री कि ान सिंह सांगवान):

(क) हां, 13 पर रिक्त हैं जिनका विशयवार ब्यौरा अनुबन्ध 'ए' में दिया है।

(ख) इन पदों को जल्दी ही भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

ANNEXURE 'A'

Subject	No. of posts vacant	Date of Vacancy
Botany	1	August, 1990
Pol. Science	1	August, 1990
Chemistry	1	June, 1990
Anthropology	1	January, 1990
Hindi	3	(2) March, 1989 (1) August, 1989

English	1	July, 1990
Zoology	1	June, 1990
Sociology	2	(1) March, 1989 (1) August, 1989
Military Science	1	March, 1989
Geology	1	July, 1989
	13	

श्री कैला ा चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि जो पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को जल्दी ही भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन पदों को भरने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? क्या इनको भरने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री कि ान सिंह सांगवान: स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य ने इन पोस्टों के भरे जाने का टाईम बाउन्ड प्रोग्राम जानना चाहा है। स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा में गवर्नमैंट कालेजिज में 2036 सैंक ाड पोस्ट्स हैं। इन 2036 पोस्ट्स में से सारे हरियाणा में कुल 109 पोस्टस खाली पड़ी है जिनमें ये 13 पोस्टस भी भाामिल हैं जो नारनौल में खाली पड़ी है ओर जिस बारे में माननीय सदस्य का सवाल है। अब जहां तक इन पोस्ट्स पर भर्ती का सवाल है, कोई फिक्सड टाईम तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी हम इस बारे में कोि ा ा

करेंगे। लैक्चरर्ज की जो सिलैक ान है, वह एच0पी0एस0सी0 करता है। हमारी सरकार के पास एच0पी0एस0सी0 से 45 लैक्चरर्ज की लिस्ट आयी हुई है। सरकार ने उस लिस्ट को री–वैलिडेट कर दिया है। इन 45 में से 25 तो जनरल कैटेगरी के हैं और 20 आादमी भाड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। पहले बैन भी लगा हुआ था। लेकिन अब हम इन 45 को तो ज्वायन करवायेंगे और बाकी के लिए रिक्वीजी ान एच0पी0एस0सी0 को भेजेंगे ताकि ये पोस्ट्स जल्दी भरी जा सकें।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह कहा कि भर्ती के लिए टाईम बाउन्ड प्रोग्राम नहीं है लेकिन विद्यार्थियों का समय तो बाउन्ड है। उनके पास तो केवल एक साल का समय होता है। क्या मंत्री महोदय इन पोस्ट्स को भरने के लिए ऐडहाक बेसिज पर लैक्चरर्ज लगाने की व्यवस्था करेंगे या कोई अस्थाई व्यवस्था करेंगे ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुक्सान न हो।

श्री कि ान सिंह सांगवान: स्पीकर साहब, हमने इसकी व्यवस्था की है। हमने जो कन्सर्न्ड कालेज के प्रिंसीपल हैं, उनको अथोराईज किया हुआ है कि वह पार्ट टाईम लैक्चरर्ज नियुक्त करें जब तक एच0पी0एस0सी0 से लैक्चरर्ज नहीं आ जाते।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा मंत्री जी ने बड़ी तैयारी के साथ जवाब दिया है। इन्होंने यह कहा है कि

इतने स्थान सारे हरियाणा में इस वक्त खाली है। इस बार 10 प्लस 2 की क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 3–3 हजार हैं। इस स्थिति को देखते हुए क्या इन पोस्टस को तुरन्त भरने पर विचार करेंगे ?

श्री कि ान सिंह सांगवानः स्पीकर साहब, यह जो फिगर मैंने बतायी है, यह कालेज लैक्चरर्ज की है। माननीय सदस्य 10 प्लस 2 की बात कर रहे हैं। वह अलग से हैं। मैं माननीय सदस्य की समस्या को समझता हूं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि सारे हरियाणा के स्कूलों और कालेजों में बवैकेन्सीज पड़ी हैं। उसके लिए हमने अभी एक नया फैसला किया है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वे हाई स्कूल हैं या सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैं, वहां पर जितनी भी पोस्टस खाली पड़ी हौं, उनको एस0एस0एस0 बोर्ड के परव्यू से निकाल दिया गया है। डिपार्टमैंटल तौर पर एक कमेटी बनाकर इसके लिए सिलैक ान कर रहे हैं। यह समस्या कि टीचर्ज अवेलेबल नहीं हैं और वेकैन्ट पोस्ट्स पड़ी हैं जल्दी ही हल कर दी जायेगी।

श्री सीता राम सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्ट टाईम लैक्चरर्ज लगाने की बात है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनको केवल 1000 रूपया मिलता है। इतनी कम रा ि ा के अन्दर कोई भी कम्पीटैंट लैक्चरर काम करने को तैयार नहीं होता। इस बात को देखते हुए क्या उनको ऐडहाक बेसिज पर लगाने पर

सरकार विचार करेगी जिससे योग्य अध्यापक लग सकें और विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके ?

श्री कि ान सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, ऐडहाक बेसिज पर लगाने का तो कोई विचार नहीं है लेकिन माननीय सदस्य की यह बात सही है कि एक हजार रूपये जो हम पार्ट टाईम लैक्चरर को देते हैं, वह बहुत कम हैं। इसमें अच्छे टीचर्ज अवेलेबल नहीं होते। इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि विचार चल रहा है कि एक हजार की इस रा ि ा को बढ़ा दिया जाये।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, आजकल हरियाणा प्रान्त में जो 10 प्लस 2 सिस्टम है, यह कालेज और स्कूल्ज में पैरेलल चल रहा है। क्या इस बारे में सरकार की कोई स्पश्ट नीति है कि देहात के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाये ?

Mr. Speaker: This supplementary is entirely different. The question relates to the filling up of vacancies in a college. Please take you seat.

Cases of Murder Registered in the State

***1160. Sh. Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the numbe of cases registered of murder and rape committed with the persons belonging to Scheduled

Castes during the period from June 1987 to-date in the State; and

(b) the number of persons; if any, arrested in respect of the cases as referred to in para(a) above?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क)74 अभियोग हत्या के और 95 अभियोग बलात्कार के।

(ख) हत्या के अभियोगों में 174 व्यक्ति और बलात्कार के अभियोगों में 137 व्यक्ति गिरफतार किये गये।

श्री रतन लाल कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के साथ जो बलात्कार और हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं उनमें इक्वीटल की परसैन्टेज कितनी है और सजा की परसैन्टेज कितनी है ?

श्री अध्यक्ष: इसमें परसैन्टेज कैसे दी जा सकती है ? It is not possible to fix percentage.

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, परसैन्टेज नहीं दी जा सकती।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, हरिजन बन्धुओं पर हत्याओं और बलात्कार के केसिज की बड़ी लारमिंग फिगर दी गई है। बलात्कार के 95 मामले हुए हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहीं इस बढ़ौतरी का कारण यह तो नहीं कि कुछ

लोगों को पोलिटिकल भौल्टर मिला हुआ है इसलिए यह फिगर ज्यादा हो रही है ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई पोलिटिकल भौल्टर किसी को नहीं मिला हुआ है। जो भी क्राईम करता है, सरकार कोि ा ा करती है कि उसको सजा दिलाई जजाए।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय .....

Mr. Speaker: Dr. Sabhib, you will get another opportunity. Please take your seat now.

श्री किरपा राम पुनियाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन केसजि में से कितने केसिज अनट्रेस्ड डिक्लेयर किए गए हैं ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, टोटल अनट्रेस्टड केसिज की फिगर बताना तो मुि कल है। अगर ये सैपरेट नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर के चुनाव क्षेत्र में भट्टूकलां पुलिस स्टे ान आता है। वहां पर थाने में एक हरिजन लड़के की हत्या की गई। क्या मंत्री महोदय उस केस के बारे में जानकारी देंगे ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब ने पूछा था कि मर्डर के कितने केसिज रजिस्टर हुए और रेप के

केसिज कितने रजिस्टर हुए। वह नम्बर मैंने दे दिया है। डाक्टर साहब भट्टू कलां के अन्दर जिस लड़के की मौत हुई है उसके बारे में पूछाना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, अगर मर्डर का कोई केस हो तो वह दफा 302 का केस बनता है और अगर बलन्ट इन्जरी हो तो उसमें दफा 304 बनती है। वह केस मर्डर का नहीं है। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वह 304 का केस है। उस हरिजन लड़के को चोरी के केस में पुलिस लेकर आई थी। वह लड़का सात आठ चोरी के केसिज में इंवौल्वड था लेकिस किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को इतनी चोट माारे कि वह मर जाए। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। सरकार ने इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की और थानेदार के खिलाफ दफा 304 का केस दर्ज किया। थानेदार को अरैस्ट किया गया। वह थानेदार आज भी सस्पैंड है और वह जुडि ियल कस्टडी के अन्दर है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अनुसूति जातियों पर जून, 1987 से जो मर्डर और रेप के केसिज हुए उनकी फिगर दी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पीरियड में जनरल केटेगरी के लोगों की कितनी हत्याएं और रेप के केसिज हुए हैं ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक सवाल किया है। इससे क्लीयर हो जाएगा कि किसी जाति वि ोश के साथ सुनियोजित ढंग से कोई ज्यादती नहीं हुई है।

पापुले ान की बढ़ौतरी के साथ साथ डिग्रेडे ान भी बढ़ती जाती है। हरिजन बिरादरी पर भी यह बात लागू होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहकर किसी को डिफैन्ड नहीं कर रहा हूं। मर्डर के कुल केसिज 1718 हुए हैं। इनमें 74 केसिज हरिजनों के हैं। अध्यक्ष महोदय, रेप के टोटल केसिज 569 हुए और इनमें 95 केसिज हरिजनों से सम्बन्धित हैं। इसी से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस हिसाब से ये बहुत कम हैं।

श्री हरनाम सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्श 1987–85, 1988–89 और 1989–90 में कितने केसिज मर्डर के हुए और कितने केसिज रेप के हुए ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने केसिज में मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और कितने केसिज ब्लाइंड मर्डर के हैं जिनका पता नहीं लगा ?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने फिगर क्राइम्ज की बताई हैं वह अलारमिंग सिचुए ान नहीं है। मर्डर के कुल केसिज 1718 हैं जिनमें 74 केसिज हरिजनों से सम्बन्धित है। अगर हम टोटल पापुले ान को देखें तो यह कोई अलारमिंग सिचुए ान नहीं है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि वर्श 1987–88, 1988–89 और 1989–90 में ईयरवाइज कितने कत्ल हुए ? अगर मंत्री महोदय यह फिगर बता दें तो पता लग जाएगा कि

क्राइम कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। सरकार की कारगुजारी का भी पता लग जाएगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ईयरवाइज फिगर बताना इस समय मुि कल है। इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने रेप केसिज 95 बताए हैं और जो आदमी इनमें इंवाल्वड हैं उनकी संख्या 137 बताई है जो रेप केसिज से 42 ज्यादा है। इसका मतलब यह निकलता है कि गैंग रेप भी हुए हैं – एक से ज्यादा आदमियों ने उन लेडीज के साथ रेप किया है। ऐसे केसिज को सीरियसली लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं कि मैं भट्टूकलां गया था। जिस लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है उस लड़के ने पुलिस स्टे ान में अपनी बहन को कहा था कि थानेदार, हवलदार और दो सिपाहियों ने मुझे पीटा था। अध्यक्ष महोदय, मरेा कहना यह है कि चारों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। इस केस में केवल थानेदार ही इंवाल्वड नहीं है बल्कि हवलदार और दो सिपाही भी इस केस में भाामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो एफ0आई0आर0 में नाम दर्ज हैं उसके हिसाब से गिरफ्तार किए गए हैं।

15.00 बजे

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही चिन्ता का विशय हे कि 1987 से अब तक अपराध काफी बढ़े हैं और दुर्भाग्यव ा अब पुलिस कर्मचारी भी इस तरह के अपराध करने लगे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई वि ोश उपाय करने का विचार रखती है ताकि आगे से इस तरह के क्राईम न होने पाएं ?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां पर इस तरह के क्राईम होते हैं वहां बाकायदा सख्ती से कार्यवाही की जाती है चाहे वह अपराध पुलिस का कम्रचारी करता है या कोई और दूसर। क्राईम को क्राईम के हिसाब से ही लिया जाता है।

श्री कैला ा चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कोसली में जो चार व्यक्तियों का कत्ल हुआ है जिनमें एक हरिजन भा था, सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आप बैठिये।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित जवाब में बताया कि हरिजनों से सम्बन्धित 74 केसिज हत्याओं के और 95 केसिज बलात्कार के हुए हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आज की डेट में ये केसिज किस स्टेज पर हैं,

कितनों का डिसीजन हो चुका है और कितने केसिज में लोग बुंरी हुए है?

Mr. Speaker: I do not think it will be possible for the Minister to reply to this supplementary off hand.

Shri Parma Nand: It relates to this question and it is quite possible to reply to this.

Mr. Speaker: It is not possible.

Shri parma Nand: Sir, it realates very much to this question.

Mr. Speaker: It is not possible to give this information off hand. A clear question should have been asked to get these details.

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित जवाब में बताया कि हरिजनो से सम्बन्धित 74 केसिज हत्याओं के व 95 केसिज बलात्कार के हुए है और बाद में बताया कि टोटल 1,718 केसिज हत्याओं के बौर 569 केसिज बलात्कार के हुए है। लेकिन इससे ता यह रे ाो उल्टी हो गई। वहां बलात्कार के केसिज ज्यादा और यहां पर कम। इन दोनो फिगर्ज को तुंलनात्मक दृश्टि से देखने के बाद क्या मंत्री जी बताएंगे कि वह अनुपात उल्टा क्यों हुआ है?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, कोई अनुपात उल्टा नहीं है। जो क्राईम होता है उसको क्राईम के हिसाब से लेंगे। चाहे कोई मर्डर हो, चाहे कोई रेप हो, उसको क्राईम ही मानेंगे।

Income Accrued from liquor vends/bars in the State

***7798. Shri Balbir Singh Chaudary:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the annual income accrued from excise duty, from auction of country made liquor and Indian made foreign liquor vends bars and from drinking places (Ihatas) in the State during the year 1986-87, 1987-88 and 1989-90 separately; and

(b) the total number of country made liquour and Indian made foreing liquour vends auctioned in the State during the period, as referred in part (a) above, togetherwith the number of vends auctioned exist in the cities and villages in the State, separately?

सहकारिता मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आबकारी भाुल्क जोकि देसी भाराब की दुकानों व भारत निर्मित विदे ाी भाराब की दुकानों की नीलामी से तथा बार

व अहाता से राज्य में वर्श 1986–87 में 1989–90 तक हुई अब नीचे अलग–अलग दी गई है। यह आंकड़े लाखों में पढ़े जाये:–

वर्श	दे ाी भाराब से आबकारी भाुल्क	अंग्रेजी भाराब से आबकारी भाुल्क	लाईसैंस फीस	लाईस फीस	बार लाईसैस फीस	अहाता की लाईसैस फीस
			दे ाी भाराब	अंग्रेजी भाराब		
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
1986–87	1691.50	3525.94	5274.00	1727.35	7.00	–
1987–88	1994.30	4277.46	6405.00	2219.58	13.50	–
1988–89	2370.32	5410.21	7607.87	2655.14	59.00	81.50
1989–90	2533.44	6333.33	9236.57	3600.34	63.45	48.90

(ख) वर्श 1986–87 से 1989–90 तक दे ाी भाराब व भारत निर्मित विदे ाी भाराब की दुकानें जो राज्य में कुल निलाम

की गई है तथा इनमें से जो भाहरों तथा दोहातों में स्थित है, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

वर्श	दे ाी भाराब			भारत में बनी विदे ाी भाराब		
	भाहरी	ग्रामीण	कुल	भाहरी	ग्रामीण	कुल
1986–87	307	349	656	290	36	326
1987–88	323	350	673	308	28	336
1988–89	326	378	694	304	46	350
1989–90	326	456	782	319	47	366

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उतर में राज्य में कुल भाराब की दुकानों की संख्या, जोकि भाहरों और देहातों में स्थित है, बतायी है। मै आप के माध्यम से उन से यह जानता चाहता हूं कि हर छोटे से छोटे गांवं में 10 से 15 व बड़े से गांव में 20 से 25 जो सब वैन्डज चल रहे है, क्या उनकी गिनती भी लिखित उतर में दी गई संख्या में सम्मिलित है या कि नहीं?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐक्साईज पालिसी के हिसाब से एक ठेकेदार को गांव में दो वैन्डज खोलने की अनुमति है और एक वैन्ड की फी 15 हजार रूपये है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः मेरा क्वै ान यह है कि हर गांव में 10 से 15 तक सब वैन्डज चल रहे है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि ये वैन्डज किस कानून के तहत चलाये जा रहे है और इनकी आदमी कहां पर जमा होती है? क्या ऐसे वैन्डज की आमदनी भी सरकार के पास जाती है?

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया कि एक ठेकेदार को गांव में दो वैन्डज खोलने की अनुमति होती है। ऐसे एरिया में जब वैन्डज खोलने की अनुमति होती है जिससे दूसरा एरिया प्रभावित न होता हो। उस एक वैन्ड की फीस 15 हजार रूपय होती है और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा होती है। अगर कोई ऐसा केस माननीय सदस्य के नोटिस में है कि कोई वैन्ड बिना लाईसैन्स के चल रहा है तो वे उसकी जानकारी हमें दें, हम ऐसे केसिज में अव य ही कार्यवाही करेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जितना भाराब का चलन हरियाणा में तेजी से बढ़ा है उसको देखते हुए विधायको के लिए भी असैम्बली के नजदीक कोई ठेका खोलने का सरकार का विचार है? (हंसी)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की एक आम राय है कि प्रदे ा में न ाा बन्दी होनी चाहिए। क्या सरकार प्रदे ा के किसी इलाके में ऐसी योजना बना रही है या विचार कर रही है कि वहां पर ड्राई एरिया बनाया जाए?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, हर साल 31 अक्तूबर तक जिस भी गांव की पंचायत का प्रस्ताव पास होकर सरकार के पास आता है, उस पर विचार किया जाता है। उसके बाद अगर वह प्रस्ताव ठीक पाया जाता है तो उस गांव का ठेका बन्द कर दिया जाता है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके पास पंचायतों के ऐसे कितने प्रस्ताव आए और उनको देखते हुए कितने ठेके बन्द किए गए?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, लास्ट ईयर 56 पंचायतों के प्रस्ताव आए थे उनमें से 37 प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद उनको अयोग्य पाया गया। बाकी के 19 ठेकों को बन्द कर दिया गया था।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात कि गांवों में जितनी भी परचून की दूकानों है उन सब में नाजायज तौर पर दे ाी भाराब बेची जाती है?

फतेबाद हल्के में और भूना के एरिया में खास तौर पर ऐसा होता है। क्या सरकार इसको बन्द करवाने का प्रावधान करेंगी?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, एक ठेकेदार को अपने एरिया में दो छोटी दुकाने खोलने की अनुमति होती है। अगर इनके नोटिस में ऐसी कोई ि ाकायत है तो बताएं हम जरूर कार्यवाही करेंगी।

श्रीमति कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि 56 पंचायतों के प्रस्ताव आए और उनमें से 37 पंचायतों के प्रस्तावों को नही माना गया। मै जानना चाहती हूं कि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का क्या क्राईटेरिया है?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, जहां पर अवैध किस्म की भाराब की बिक्री होती है और जहां पर अवैध ढंग से लोग भाराब निकालते है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अगर किसी जगह पर पिछले दो सालों में ऐसे ज्यादा मुकदमें दर्ज हुंए हो तो उनको देखते हुए पंचायत का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, अगर कोई पूरा गांव फेसला करता है कि हम भाराब का प्रयोग नही करेंगे और हम अपने गांव में ठेका नही चाहते है ता उसके बाद प्रस्ताव को अयोग्य करार देने की क्या बात रह जाती है?

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने आपके माध्यम से सदन को सूचना दी है कि 56 पंचायतों के प्रस्ताव आए। प्रस्ताव आने के बाद पंचो और सरपंचो को बुलाया जाता है उनकी सुनने के बाद जहां का प्रस्ताव ठीक पाया जाता है वहां भाराब की दुकान बन्द कर दी जाती है।

श्री रतन लाल कटारियाः स्पीकर साहब, कई जगहों पर भाराब के ठेके ि ाक्षा केन्द्रो के पास खोल दिए जाते है। जैसे खरिडंबा गांव है वहां पर बिल्कुल स्कूल के पास ठेका खुला हुआ है। वहां पर विद्यार्थी दो–चार रूपए में वैग लेने लगे है। या मामला ग्रीवैसिज कमेटी के अन्दर भी उठाया गया था। मै जानता चाहता हूं कि इस पर मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है? अगर अभी तक कोई कार्यवाही नही की है तो भीघ्र की जाए की जाए ताकि वहां पर असामाजिक तत्व पैदा न हो।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों का बताना चाहूंगा कि आबकारी नीति के तहत स्कूल, कालेज, बस स्टैड, सार्वजनिक, स्थान पूजा, सिल जी0 टी0 रोड़ गांव का कुआं, मजदूर कालोनी और हरिजन बस्तियों से दूर भाराब के ठेके खोलने की व्यवस्था है। फिर भी माननीय सस्या ने जो हाउस में जानकारी दी है उसकी हम जांच करवाएंगे और ठेके का हटवाने की कार्यवाही करेंगे।

श्रीमति कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति के अनुसार यह है कि अगर कोई पंचायत लिख कर दे कि उसे अपने गांव में भाराब का ठेका नही चाहिए तो वह ठेका बंद कर दिया जाता है। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उन पंचायतों के लिखों के बाद भी उनके गांवो में भाराब के ठेके बंद क्यों नही किए गए?

श्री अध्यक्षः बहन जी, मंत्री जी ने कहा है कि जिन–जिन गांवों के लोग नाजायज भाराब ज्यदा निकालते है, उन गांव वालों को नाजायज भाराब निकालने से रोकने के लिए मुकाबले में भाराब के ठेके खोले जाते है और नाजयज भाराब निकालने वालों को पुलिस द्वारा नाजायज भाराब निकालने से रोका जाता है। This is the intention of their policy.

श्रीमति कमला भार्माः अध्यक्ष महोदय, यदि कोई पंचायत लिख करके यह कहे क हमें अपने गांव में भाराब का ठेका नही चाहिए तो वहां पर ठेका बंद हो जाता है। यादि 56 गांवो की पचायतों ने लिख कर दिया तो उनमें से 37 गांवो में भाराब के ठेके बंद क्यों नही किए गए? इसमें सरकार का क्या इंट्रैस्ट है?

श्री अध्यक्षः बहन जी, इस बारे में मंत्री जी ने आपको बता तो दिया।

श्रीमति कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बात स्पश्ट नही हुई।

श्री अध्यक्षः बहन जी, बात स्पश्ट हो गई है आप कृपया बैठे। (ाोर)

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन में यह बात स्पश्ट नही कर पाए। मंत्री जी ने स्वयं उतर दिया है कि जो आबकारी नीति है उसके अनुसार यदि कोई पंचायत 31 अक्तूबर तक अपने गांव में भाराब का ठेका बंद करने के लिए प्रस्ताव पास करके देती है तो उस गांव में भाराब का ठेका बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर स्वयं मंत्री जी ने यह जवाब दे दिया कि 56 गांवों की पंचायतो ने अपने गांवों में भाराब के ठेके बंद करने कके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जिनमें से 37 प्रस्ताव अयोग्य मिले। मै आपके माध्यम में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके पास यदि इस बारे में डिठेल्ड इन्फमें ान अवेलेबल नहीं है तो इस सवाल का जवाब देने क लिए टाईम मांग ले ताकि इस बारे में स्थिति स्पश्ट हो जाए। यह बहुत अहम मृद्दा है और सदन के काफी सदस्य इस सवाल के बारे में जिज्ञासा रखते है।

श्री अध्यक्षः भार्मा जी, आप सवाल पूछे।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानता चाहता हूं कि आधकारी नीति के अनुसार सरकार ने उन 56 गांवो के ठेके बंद क्यों नही किए जबकि उन गांवो की पंचयातों ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे?

मंत्री जी के पहले जवाब मे और अब जो जवाब दिया है दोनों मे कंट्राडिक ान है।

श्री धीर पाल है: स्पीकर साहब, मैने आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों को यह जानकारी दी है कि आबकारी नीति के अनुसार जिस जिस पंचायत के प्रस्ताव गांव भाराब के ठेके बन्द करने के लिए आते है.....(ाोर)

श्री टेक चन्द नन्द: स्पीकर साहब,.....

Mr. Speaker: Tek Chand ji this is not the way. I have a ready allowed more than ten minuts on this questicn. Pleaes take your seat.

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, जिन जिन पंचायतों के प्रस्ताव आते है उनके सरपंचों और पंचों को बुला करके यह पूछा जाता है कि उनके गांवों में नाजायज भाराब तो नही निकाली जाती । पिछले दो सालों में जिस जिस पंचायत के प्रस्ताव सरकार के पास आए उनके सरपंच और पंचो को बुला करके यह तहकीकात की गई कि उनके गांवों में नाजायज भाराब की बिक्री तो नही है या नाजायज भाराब तो नहीं कि उनके गांवो में नाजायज भाराब की बिक्री तो नही है या नाजायज भाराब तो नहीं बिकाली जाती है। जिस जिस गांव के बारे में यह बात सही पाई गई कि वहां पर नाजायज भाराब नही बिकती या नहीं निकाली जाती उस गांव का ठेका बन्द कर दिया गया।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker: No more Supplementaries on this qukestion now. Please take your seats.

There is still time for questions Dr. Haryana Singh may please put his question No. 1155 which he could not put earlier as he was not present at. that time.

श्री हरमान सिंहः स्पीकर साहब, मै बंध की वजह से लेट हो गया था।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, यह बहुत अहम मामला है और इस पर आधे घण्टे की डिस्क ान होनी चाहिए। (ाोर)

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब आप हमारी बात सुनें। यह बहुत ही अहम मसला है इसलिए इस पर हाफ एन आवर डिस्क ान होनी चाहिए। (ाोर)

Mr. Speaker: No, I will not allow. Please take your seat. Nothing more will be recorded about this question.

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब,..... (ाोर)

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब,..... (ाोर)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, you please put your own question No. 1155.

consideration of Dadupur-Nalvi and Ladwa Canals

***1155. Shri Harman Singh:** Will the Minister for Home be Pleased to refor to Un-starred question No. 163 answered on 16-1-90 and to state-

(a) whether the projects for the construction of the Dadupur Nalvi and Ladwa Canals have been cleared by the Central Water Commisson/Planning Commission, Govt. of India; and

(b) if the reasons therefor?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिह):

(क) नही।

(ख) इन परियोजनाओं की मन्जूरी इसलिए लम्बित पड़ी है क्योंकि परियोजना अनुसार यमुना और रावी–ब्यास पानी के बंटवारे का फेसला अभी तक नहीं हुआ है।

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन योजनाओं का मन्जूरी दिलवाने के लिए कोई कोि ा ा की है?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहूंग कि इसी साल के पहले महीने में हमारी हरियाणा सरकार

के इरीगे ान एण्ड पावर कमि ानर ने सैन्ट्रल वाटर कमी ान से मुलाकात की थी और उनसे इन योजनाओं के बारे में बातचीत की थी।

श्री हरनाम सिंहः मै अर्ज करना चाहता हूं किह जो कोरेसपौर्न्डस भारत सरकार के साथ हुई है क्या वह सरकार हमें देगी?

प्रो0 सम्पत सिंहः बाकायदा देगी।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि यह मुद्दा हरियाणा की सिचांई के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब से यह विभाग इनके पास आया है इन्होंने कितनी बार भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों या मंत्री से मीटिंगे की है और इसके लिए इनकी तरफ से क्या प्रयास किए गए है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नही है कि हमारी तरफ से प्रयास जारी नहीं है। मै इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अवेलेबल है उसकी डिस्ट्रिब्यू ान तो पहले ही हो चुकी है। पानी की अधिकता की डिस्ट्रिब्यू ान के बारे में जब तक भारत सरकार के वाटर कमी ान से मन्जूरी नहीं मिल जाती तब तक जो पानी मिल रहा है वह मिलता रहेगा। मै यह भी कलियर कर देना चाहता हूं कि जब तक ऐसी परियोजनाओं की मन्जूरी भारत सरकार से नही मिल आती, उन पर काम भाुरू नहीं हो

सकता। हमारी तरफ से इन परियोजनाओं की मन्जूरी के लिए लगातार प्रयास हो रहे है क इन योजनाओं की जल्दी से जल्दी मन्जूरी मिल जाए।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि दादुपुर–नलवी बनाने के लिए जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसका कितना मुआवजा अब तक लोगों का दिया जा चुका है?

प्रो0 सम्पत सिंहः अभी तक जो जमीन इस काम के लिए ली गई है उसका मुआवजा लोगों को 1 करोड़ 10 लाख रूपया दिया जा चुका है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहली जुलाई से तीस सितम्बर तक वहां पर पानी कभी भी कम नहीं होता। ये पिछले 50 सालों के बारे में बता दे कि वहां पर कभी इस अवधि के दौरान पानी कम रहा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर इन दिनो हमे ाा सरप्लस पानी रहता है। सरप्लस पानी रहने के कारण ही वहां पर पहली जुलाई से 30 सितम्बर के बीच में कई बार बाढ़ भी आ जाती है।

प्रो0 सम्पत सिंहः सर, वहां पर पानी कम भी हो जाता है। सरकार तो यही चाहती है कि यह नहर जल्दी से जल्दी बने। इसके अलावा बाढ़ आने की बात इन्होंने कही। उसके बारे मं इन्हें

बताना चाहूंगा कि जुलाई से सितम्बर तक का मौसम तो वैसे भी बारि ा का मौसम होता है और बारि ा के मौसम में बाढ आना एक स्वाभाविक सी बात है।

Mr. Speaker: Question list is over.

अतारांकित प्र न एवं उतर

Setting up a 33 K.V. Power Station in Distt Rewari

***206. Capt. Ajay Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state whe the there is any proposal under consideration of the Govt to set up antber 33 K.V. Power Station in Distt. Rewari during the year 1990-91?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): वर्श 1990–91 के दौरान जिला रिवाड़ी के खोल तथा माडल टाऊन रिवाड़ी में 33 के0 वी0 सब स्टो ानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

Line Losses in Dharuhera

207. Capt. Ajay Singh: Will the Minister for House be pleased to state the percentage of line losses occured in Dharuhera during the last two years togetherwith the action taken by the Government against the officers who are responsible for the said losses?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): परिचालन मण्डल, धारूहेड़ा के संबंध में रिकार्ड गया पिछले दो वर्शा का लाईन लैसिज निम्न प्रकार से है:–

वर्श	1988–89	=	5.6 प्रति ात
वर्श	1989–90	=	8.41 प्रति ात

ये प्रसार लौसिज के अतिरिक्त है।

किसी अधिकारी को जिम्मेवार ठहराने का प्र न ही नही उठता क्योंकि ये लौसिज अनुमति प्रदत सीमा के अन्तर्गत है।

Water Supply Scheme for Village Jadra

208. Capt. Ajay Singh: Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideraticn of the Govt. to supply drinking water in village Jadra of Disst. Rewari; and

(b) if so the time by which the scheme as referred to in part (a) above is likely to be finalized?

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागी राम)

(क) गांव जाडरा में पेय जल सुविधायें वर्श 1977–78 से चालू है। इन गांव के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित नहीं है।

(ख) प्र न ही नही उठता।

Mini Secretariat and Judicial Complex at Rewari

209. Capt. Ajay Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a building for Mini Secretariat and Judicial Complex at Rewari and

(b) if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be construted?

राजस्व मंत्री (श्री तैवय हुसैन):

(क) जी हां।

(ख) इस स्थिति में इन इमारतों के निर्माण का समय दिया जाना संभव नही है।

215. Shri Ran Singh Mann: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the circle- wise number of applications of Electricitiy Connection for Tubewell if any lying pending in the State as at present, if so, the details there of; and

(b) the time by which the aforesaid Electricitiy Connections are likely to be given?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) जुलाई, 1990 के अन्त तक परिमण्डल अनुसार ट्यूबवैल कनैक्शनों के अनिर्णित पड़े आवदेन पत्रों की सख्यां निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	परिमण्डल का नाम	अर्निणत पड़े आवेदन पत्रों की संख्या
1.	अम्बाला	4864
2.	करनाल	11507
3.	कुरूक्षेत्र	7957
4.	फरीदाबाद	1102
5.	सोनीपत	4121
6.	गुड़गांव	3391
7.	सिरसा	4719
8.	भिवानी	3173
9.	जीन्द	4323
10.	रोहतक	1545

11.	नारनौल	7306
12.	हिसार	4635
योग		58643

(ख) टूयूबवैल आर्वदकों से नए आवेदन पत्र प्राप्त होना तथा उनको कनैक ान जारी करना एक नियमित प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्श धन उपलब्धि के आधार पर औसत रूप में 15000 से लेकर आवेदकों को कनैक ान जारी करने के लिए कोई पूर्व निर्धारित समय नि चत करना सम्भव नही है।

Regularistaion of Servies of Adhoc Teachers/Teachresses

216. Seth Lachman Dass Bajaj: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to regularise the seervices of Adhoc Teachrs/Teachersses who have been working for the last 8 years in the State?

ि ाक्षा मंत्री (श्री कि ान सिंह सांगवान): जी नही।

Creation of a Divsion at Karnal

217. Seth Lechhman Dass Bajaj: Will the Revenue Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to create a Division at

Karnal consisting of Karnal, Kurukshetia, Panipat and Kaithal Districts?

राजस्व मंत्री (श्री तैयब हुसैन): जी नही।

Filling up of Vacant post in Govt. Schools

218. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consdeaton of the Govt. to in the vacancies lying vacant in Government Senior Secndary Schools and High Schools in the State at present?

ि ाक्षा मंत्री (श्री कि ान सिंह सांगवान): जी हां।

* **Seth Lachhman Dass Bajaj:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whertherf there is any proposal under consideration of the Gove. to create a D.I.G. Police Range at Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforeseidf proposal is likely to be materialized?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) नही जी।

(ख) प्र न ही पैदा नही होता।

220. Shri Sita Ram Singh: Will the Chief Minister be pleased

(a) the number of Cleaks selected by the S.S.S Borad during last year; and

(b) the number of Clerks out of those as referred to in part (a) above have been given appointment by the Govt. till to date?

मुख्यमंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) पिछले वर्श अधीन सेवाये प्रवरण मण्डल द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यलयों में लिपिकों के पदों पर नियुक्ति हेतु 2858 उम्मीदवार सिफारि ा किए गए थे।

(ख) 857.

Cases of Thefts and Dacoltioes Committed in Gurgaon

221. Shri Sita Ram Singh: Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of cases, if any of thefts and dacoities regisered in Gurgaon District during the last one year;

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above, in which culprits have been arrested and the stolch good have been recovered; and

(c) the number of such cases in which accused have been arrested but the goods have not been recovered so far?

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह):

(क) पिछले एक साल में (1–8–89 से 28–8–90) जिला गुड़गांव में कुल 486 अभियेाग (481 चौरी और 5 डकैती) के दर्ज किए गए।

(ख) 285 अभियोगों में अपराधी गिरफ्तार किए गए और चुराया गया माल बरामद किया गया। 76 अभियोग अनुसन्धानाधीन है, 19 अभियोग कैन्सिल किए गए और 106 अभियोग अदमपता भेजे गए।

(ग) चोरी के 6 अभियोगों में अपराधी गिरफ्तार किए गए परन्तु चोरी हुआ माल अभी तक बरामद नही हुआ है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

(At this stage, many members rose to speak)

Mr. Speaker: Please raise your point one by one. I will reply to everybody.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में 2–3 काल अटैन्ा न मो ान्ज दी थी उनका आप क्या कर रहे है?

Mr. Speaker: These are under consideration.

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैने तीन काल अटैन्ा न मो ान्ज दी थी। एक तो कोसली में पुलिस फायरिंग के संबंध में थी, दूसरी रिवाड़ी भाहर में पीने के पानी की कमी के

बारे में भी और तीसरी मण्डल कमी ान की रिपोर्ट व अन्य मुद्दों के बारे में थी, उनका क्या हुआ?

Mr. Speaker: Your calling attention moition regerding shortage of drinking water in Rewari is admitted for tomorrow. The rest are under consideration.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, कोसली में 5 लोग मारे गए है। इस संबंध में मैने आज सुबह ऐडजर्नमेंट मो ाना दिया था। उसका क्या हुआ क्योंकि इस बारे में पूरा हरियाणा चिन्तित है? दूसरा मेरा एक काल अटैन ान मो ान प्रौढ़ ि ाक्षा के जो कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए है उनके बारे में था। ये कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार 75 दिन से धरने पर बैठे हुए है। सरकार ने इन 6 हजार कर्मचारीयों की जीविका छीन ली है। इतना ही नही पहले जहां पर ये कर्मचारी तम्बू लगाए बैठे थे वहां से भी उनके तम्बू फाड़ कर उन्हें भगा दिया। आज उनके हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है।

Mr. Speaker: You adjournment motion regarding police firing at kosli is under consideration and your calling attention notice re gaiding dharna by adult education employees has been disallowed.

श्री राम बिलास भार्मा: सर, मेरा ऐडजर्नमैंट मो ान बहुत ही इम्पोटैट है।

Mr. Speaker: I am considering it. We are sitting tomorrow also (Interruptions).

Shri Ram Billas Sharma: Sir, adjornment motion has to be decided.

Mr. Speaker: It is not possible for me to take a decision if it is received only half an hour earlier.

Shri Ram Bilas Sharma: It is an immediate matter and there is a speeific provision about it.

Mr. Speaker: No doubt, it is an immediate matter. I perfectily understand your feelings. I will give my decsion on it tomorrow.

Shri Mangal Sein: Sir, what about my calling attention motion regarding Kosli incident?

Mr. Speaker: Doctor Sahib, Your calling attention motion has been disallowed.

Shri Mangal Sein: Speaker, Sir. on what grounds?

Mr. Speaker: I need not explain the grounds but even then I may tell you that in that case constables have been arrested and the Government has instituted inquiry. The matter is sub-judice. (Interruptions) The accused were arrested and they are in judicial custody. They are in jail. So, I am very sorry, your notice has been disallowed.

राव राम नारायण: स्पीकर सर, इस मामले पर जो जुडि ियल इंक्वायरी होनी चाहिए। (विघ्न एवं भाोर)

Mr. Speaker: Rao Ram Naryan Ji, Your calling attention notice has been disallowed, Regarding the murders the case has been registered. The accused have been arrested. The Government has instituted an inquiry and the A.D.C. is holding it. (Interruptions).

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय, ए0 डी0 सी0 और एस0 डी0 एम0 बगैरा तो फायरिंग करवाने वाले है। (विघ्न)

Mr. Speaker: please listen. The case hase been registered and the matter is sub-judece. Please take your seat.

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, I draw your kind attention to page 414 of the book Kaul & Shakdhar where in it is stated that a matter of urgent publec importance can be raised by interrupting the regular business through an adjournment motion and what Shri Mavlankar said about it is given therein. So, my adjournment motion relates to a very important matter. It should be decided and be not posiponed.

Mr. Speaker: It can be raised provided the Speaker gives his consent there to. I have already told your that adjornment motion is under consideration and I will give my decision on it tomorrow. Please take your seat now.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपसे पूछना चाहता हूं.....(विघ्न)

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, मैने आपको बता दिया है कि आपके काल अटैन ान मो ान्ज अन्डर कसिड्रै ान है। यह

बैटर है कि जो कुछ आपने पूछना है, वह कल पूछ ले। (विघ्न एवं भाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी का कार्लिग अटैन्ा न मो ान डिसअलाउ कर दिया गया है। कही इसे टालने के लिए तो आप कल के लिए नही कह रहे है?

Mr. Speaker: Do not presume it before hand. मेरे पास जैसे–जैसे फाईलें आ रही है वैसे वैसे मैं डिसीजन दे रहा हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, कोसली फायरिंग के बारे में मेरा कहना है कि it is very important matter. यह मामला इमिजियेटली टेक–अप करने वाला है ऐडजोर्न करने वाली बात नही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप का कालिंग अटैन्ा न मो ान आया था। I have disallowed it.

श्री मंगल सैनः आपका भाुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन ऐडजोर्नमैंट मो ान तो आप को आज ही ऐडमिट करना चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर सर, अभी आप कह रहे थे कि यह अंडर कंसिड्रै ान है।

श्री अध्यक्षः मेरे पास तो जो फाईल आएगी उसी के मुताबिक फेसला होगा।

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, यह बहुत ही इम्पोटैंट ई ू है।

Mr. Speaker: I am not going to give a decision about the matter which I have not yet consideration and the file has come to me. I have alrady said that I will give a decision about it tommrrow (Interruptions)---- Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा में ला एण्ड आर्डर के बारे में मेरा भी ऐडजोर्नमैंट मो ान था, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: I have received it at 1.00 p.m. today and is under consideration.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह मामला तो आज ही डिस्कस होना चाहिए कल तो इसका कोई महत्व नही रहेगा। सारे हरियाणा के अन्दर अफरातफरी मची हुई है। एक महीने से हरियाणा में कही ला एण्ड आर्डर नही है। कोई मिनिस्टर नहीं मिलता। (विघ्न) 6 मिनिस्टर्ज एक महिने से कही मिलते नही थे। न कोई आई0 ए0 एस0 अफसर मिलता था और न ही कोई आई0 पी0 एस0 अफसर मिलता था। हरियाणा के अन्दर 3 काण्ड हो गए है। कर्मचारी बाहर प्रद र्न कर रहे है, धरना दिए बैठे है।

प्रोढ़ ि ाक्षा के करीब एक हजार लोगों को अरैस्ट किया गया है उन पर लाठी चार्ज किया गया है। इस पर तुरन्त बहस होनी चाहिए। स्पीकर साहब, यह बहुत ही अजेंन्ट मैटर है और इस पर आज ही बहस होनी चाहिए (विघ्न एवं भाोर)

Mr. Speaker: Please take your seat.

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, मेरा काालिंग अटैन्ा ान मो ान कोसली फायरिंग पर भी था और हरियाणा में ला एण्ड आर्डर पर भी था। कई दिनों से आने–जाने पर बन्ध लगा हुआ है, रेलों को आग लग रही है, पुलिस वाले भी गोली से मरे है, लूटपाट चल रही है। रास्ता रोकने के नाम पर अन–सो ाल ऐलीमैंट लूट मचा रहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि इस सारे मामले में सरकार का मौन समर्थन उसके साथ है।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, regarding that a calling attention motion of Shri Balbir Singh Chaudhary about agitation going on these days has been admitted for tomorrow. Please take your seat.

Shri Mangal Sein: Thank you very much Sir, I have also given a notice of a motion under Rule 84 for discussion on the present situation. What dicision has been taken on it?

Mr. Speaker: Doctor Sahib, yor are an old and a seasoned member. Even I have to learn from you. Kindly tell me how can we discuss a report which is not with us.

Shri Mangal Sein: My notice is not for discussion on the Mandal Commission Report. It is about the prevalent law and order situation arising out of implemention of the Mandal Commission Report.

Mr. Speaker: Doctor Sahib as I have already said I have admitted a Calling Attention Motion of Shri Balbir Singh Chaudhry regarding the agitation going on these on these days and it will come up before the House tomorrow. Please have patiencs.

Shrimate Kamla Verma: What about my calling attention motion regarding law and order situaiton in Yamunanagar?

Mr. Speaker: Bahaa Ji that is under consideration.

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, करनाल में दो बच्चो का मर्डर हुआ है। मैने इस बारे में एक काल अटैन्न ान मो ान दिया हुआ है। उसका क्या बना है।

Mr. Speaker: Bajaj Sahib, that is under consideration.

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मंडल कमी ान की रिपोर्ट के बारे में मेरी कालिंग अटैन्न ान मो ान का क्या हुआ?

Mr. Speaker: I have already replied that you connot discuss the Mandal Commission Report because that is not with us Until and unless we have that report, we connot discuss it. Please take your seat.

कैप्टन अजय सिंहः सैटर ने तो उसकी इम्पलीमैंटे ान की बात स्टेट्स पर छोड़ रखी है। उसके बारे में तो चर्चा होनी चाहिएं।

Mr. Speaker: That cannot be disussed.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने ऐडजर्नमैंट मो ान दिया हुआ है, वह डिस्कस होना चाहिए। स्टेट में ला एंड आर्डर की सिचूए ान बहुत खराब है। वह डिस्कस होनी चाहिए। कार्यवाही सस्पैंड करके उस पर पहले डिस्क ान होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका है।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, स्कूलों में बच्चों को प्रवे ा नही मिल रहा है। एक–एक क्लास में तीन हजार बच्चे हो रहे है और तीस–तीस बतीस–बतीस सैक ान हो गए है। इस बारे में मैने एक ध्यानकर्शण प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका क्या बना है?

Mr. Speaker: Singla Sahib that is also under consideration.

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर साहब, मै फिर जानना चाहता हूं कि मंडल कमी ान रिपोर्ट का क्या हुआ?

Mr. Speaker: Captain Sahib, I have replied you earlier that Mandal Commission Report cannot be discussed.

कैप्टन अजय सिंहः यह तो बहुत जरूरी है। यह तो डिस्कस होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Captiain Sahib this is not the way. I cannot allow discussion on a Report which in not with us. Please take Your seat now.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, सारे मैम्बर्ज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे एक अर्ज है कि सब ने ही कोई न मो ान दिया हुआ है। सारे यह सोचते है कि दो ही दिन का सै ान है। आज जिस तरह से आपने मो ान्ज को डिस–अलाऊ किया है, कल भी कही मो ान्ज इस तरह से डिस अलाऊ न हो जायें। इन्हें तसल्ली हो जाएगी अगर सै ान एक आध दिन के लिए आप और बढ़ा दे। इस तरह से आप कोई आ वासन दे। मै समझता हूं कि आप सारे मैम्बर्ज की भावनाओं के कद्र जरूर करेंगे। यह प्रदे ा के हित मैं है। जन हित की बात है। प्रदे ा हित में है। जन हित की बात है। प्रदे ा हित की बात भी है।.....(ाोर)

Mr. Speaker: Chaudhry Sahib, I appreeiate your feelings. Please take your seat.

श्री अनिल कुमार विजः स्पीकर साहब, मैने भी ओल्ड एज पै ान की डिस्बर्समैंट के बारे में एक काल अटैन्ा ान मो ान दिया है, उसका क्या बना है?

Mr. Speaker: Vij Sabib, that is under conideration.

घोशणाएं–

(क) अध्यक्ष द्वारा–

(i) सदस्य का त्याग–पत्र

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 58(1) के अनुसार मैने हाउस को इन्फार्म करना है कि Shri Ranjit Singh had resigned his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated the 1st June, 1990 and his resisgnation had been accepted on the 4th June, 1990 (A.N.)

(ii) पैनल औफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः हरियाणा विधान सभा के रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अनुसार मै फोलोइंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन पर नोमिनेट करता हूं:–

1. श्री आत्मा राम
2. श्री सतबीर सिंह कादयान
3. श्री सूरज भान
4. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

(ख) सचिव द्वारा–

राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी

श्री अध्यक्षः अब सैक्रेटरी साहुब अनाउंसमैंट करेंगे।

सचिवः सर, मै उन विधेयकों को द र्ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने सितम्बरए 1989 तथा मार्च, 1990 में हुए अपने सतों में पारित किए थे तथा जिन पर राश्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन के पटन पर रखता हूं।

Statement

September Session, 1989

*1. The Haryana Prevention of Defacement of Property Bill, 1989.

March Session, 1990.

1. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1990.

2. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 1990.

3. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill 1990.

4. The Faridabad Complex (Regulation and Devlopment) Bill, 1990.

5. The Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Haryana Amendment Bill, 1990.

6. The Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 1990.

7. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1990.

8. The Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1990.

9. The Haryana legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1990.

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिर्पार्ट पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब मै वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं–

"The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the 3rd September, 1990 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committe recommnds that unless the Speaker otheiwise directs the Assembley, whilst in session, shall meet on Monday, the 3rd September 1990 at 2-00 P.M. and adjorn at 6-30 A.M. and on Tuesday, the 4th September, 1990 at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day without question being put.

The Committee after some discussion also recommends that the Business on 3rd September and 4th September, 1990 be transacted by the Sabha as follwos:-

Monday, the 3rd September, 1990, (2.00 P.M.)	1.	Obituar Refences.
	2.	Question Hour.

	3.	Presentation and adoption of the First Report of the Business advisory Committee.
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Presentation of Excess Demmands over Grants and Appropiations for the year 1984-85.
	6.	Presentattion of Five Preliminary Reporst of the Committee of Pivileges and extension of time for presention of the final Report thereon.
	7.	Discussion and Voting on Excess Demands over Grants and Appropri ations for the year 1984-85.
Tuesday the 4th September 1990. (9.30)	1.	Question Hour
	2.	Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
	3.	Motion under Rulu 16 regarding Adjorument of Sabha Sine-die.
	4.	Official Resolution.

	5.	Approriation Bill in respect of Exess Demands Over Grants and Appropriations for the year 1984-85.
	6.	Legislative Business.
	7.	Any other Business

श्री अध्यक्षः पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैंस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैडे ान से सहमति प्रकट करता है।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to Move-

That this House agrees with the recommendaion enteined in the First Report of the Business Adviscry Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी के फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैं ांज से सहमति प्रकट करता है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि ान है कि बिजनै ा ऐडवाइजरी कमेटी की किजा रिपोर्ट हमारे समाने लाई गई है, उसके मुताबिक आज और कल असैम्बली का सै ान रहेगा और उसके बाद हाउस उठ जाएगा। यह बहुत

थोड़ा टाईम है। सै ान कम से कम एक फोर्टनाइट का तो होना चाहिए था। ऐसा लगता है। कि कांस्टीच्यू ानल औबलीगे ान को पूरा करने के लिए ही यह सै ान बुलाया गया है अध्यक्ष महोदय, हम छः महीने के बाद मिल रहे है। इन छः महीनों मे हरियाणा में बहुत प्रौबलम्ज खड़ी हुई है। आज मंडल आयोग के कारण कही रास्ते रोके जा रहे है, कही कत्ल हो रहे है। बड़ा भारी तूफान मचा हुआ है। यहां पर रोज सरकारें बदल रही है। एक मुख्य मंत्री एक हफ्ते रहता है और एक हफ्ते बाद चीफ मिनिस्टर आ जाता है। पिछले दिनों जनता दल के बहुत सारे सदस्य भारत द र्शन पर थे।

Mr. Speaker: Please do not discuss theis matter. This is not relcvant.

Shri Mangal Sein: Sir, we are within our rights to discuss it.

इसमें स्टेट का पैसा इंबोल्वड है। मै कहना चाहता हूं कि यह बहुत थोड़ा समय है। मैं इस रिपोर्ट का विरोध करता हूं और मिनिस्टर महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि सै ान ऐक्सटैड करने के बारे में मेरी बात को मान लिया जाए।

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): स्पीकर साहब, मै अर्ज करना चाहता हूं कि जो दो दिन का सै ान रखा है यह बहुत कम है। पिछले पांच महीने में हरियाणा के लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐजैन्डे पर जो चीजें है उसमें हरियाणा के लोगों की दिक्कते को

नजर अन्दाज किया गया है। ऐजैन्डे पर है कि विधायकों को सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में डिवैल्पमैंट का सारा काम रूका हुआ है। आज तक डिस्ट्रिक्ट डिसैन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग के तहत डिस्ट्रिक्टस में पैसा नही पहुंचा है। आज मे पैसा नही पहुंचा है। यमुनानगर में टैरोरिस्ट छिप रहे है। जगाधरी, ससौली और मारवा में कत्ल हो रहे है। हरियाणा में इतने सीरियस मसले है कि इन पर विचार के लिए और समय चाहिए और इसके साथ ही जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, मै भी कहना कहता हूं कि हरियाणा में बहुत बड़ा क्राईसिज है। एक चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। जनता दल से अलग–अलग ग्रुप हो गए है। (ाोर एवं व्यवधान) ये सारी बातें अखबारों में छपी है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए। डा0 साहब आप बैठिए।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी को तो हम पूरी तरह से समझते है लेकिन एक तरफ हरियाणा के लोगों की समस्याएं भी है और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर बैठे है ताकि हम हरियाणा की जनता की भावनाओं को इस महान सदन में रख सकें। आज यह बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और इसके मुताबिक केवल दो दिन का ही सै ान रखा गया है। इतने थोड़े समय में हम कैसे लोगों की लोगों की भावनाओं को इस महान

मदन में रख सकेंगे। स्पीकर सर, आप भी इस बात को मानेगे कि पिछले पांच–छः महीनों के अन्दर हरियाणा में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ी है जिससे सारे हिन्दुस्तान की राजनीतिक पर इसका असर पड़ा है। आपको और हम सब को इस बात को स्वीकार करना होगा कि केवल हरियाणा की दलगत राजनीति के कारण आज सारे भारत में तरह तरह के विवाद खड़े हो गए है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Let us confine ourselves to the matte before the House.

श्री राम बिसाल भार्माः स्पीकर सर, यह दो का सै ान करके भागना चाहते है। (ाोर) इनकी सरकार को कोई खतरा तो है नहीं फिर भी इतना छोटा सै ान क्यों रखा गया है? इतने थोड़े समय में हम कैसे जनता में कैसे जनता की भावनाओं को यहां पर प्रकट कर सकेंगे? (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not to be recorded.

वाक–आउट

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, अगर इसी तरह से रिपोर्ट को अडौप्ट करना है और सै ान का समय नही बढ़ाया जाना है तो हम इसके विरोध में वाक–आउट करते है। (इस समय श्री मंगल सैन, भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्यों सहित और सी0 पी0 आई0 के श्री हरनाम सिंह तथा सी0 पी0

एम0 के श्री हरपाल सिंह सदन से वाक–आउट कर गए)। (ाोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, यह तो हमें पहले ही मालूम था कि ये लोग वाक–आउट करेंगे। ये लोग तो सदन से वाक–आउट करने की तैयारी पहले ही करके आए थे। (ाोर एवं व्यवधान) इसमें कोई सच्चाई नहीं कि हम भागना चाहते है।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर मतदान

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मेरी हाउस के प्रार्थना है कि बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट का अडौप्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ो स्पीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मंज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब टेबल औफ दी हाऊस पेपर्ज री–ले/ले करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to re-lay on the Table.

1.The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 79/ Cnst./Art 320/Amd. (VI)/89 dated the 29th September, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

2..The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 86/ Cnst./Art 320/Amd. (VII)/89 dated the 6th November,1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

3.The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 92/ Cnst./Art 320/Amd. (8)/89 dated the 20th December, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

4.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 75/H.A/20/73/S.64/89, dated the 19th September, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

5.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 10/H.A/20/73/S.64/90, dated the 1th February, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth

Amendment) Rules, 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

6.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 22/H.A/20/73/S.64/90, dated the 20th Feburary, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth Amendment) Rules, 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I also beg to lay on the Table-

7.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 29/H.A/20/73/S.64/90, dated the 17th March, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth Amendment) Rules, 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

8.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 30/H.A/20/73/S.64/90, dated the 17th March, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth Amendment) Rules, 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

9.The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 63/H.A/20/73/S.64/90, dated the 27th August, 1990 regarding the Haryana General Sales Tax (Forth Amendment) Rules, 1990 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

10.The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 37/ Cnst./Art 320/Amd. (1st)/90 dated the 6th April, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth

Amendment Regulations, 1990, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

11.The Annual Statement of Accounts for the year 1983-84 of the Houseing Board Haryana as required under sub Section (3) of Section 19-A of teh Comp troller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Servies) Act, 1971

12.The 22 nd Annual Statement of Accounts for the year 1988-89 of the Haryana Elecircity Board as required a under sub Section 65(5) (a) of the Electricitiy (Supply) Act, 1948.

13. The Annual Finacial Statement of the Haryana State Electricitiy Board for the year 1990-91 and revised Estimates for the year 1990-91 as required under Section 61 (3) of the Electricitiy (supply) Act, 1948.

14. The Amual Report for the year 1986-87 of the Haryana Agricultural University, Hisar, as requuired under Section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agriculturul Universities Act, 1970.

15. The Report of the for the year ended 31st March 1989 No. 2 (Commercial) of the Government of Haryana in Pursuance of the Provisions of Clause (2) of Aricle 151 of the Constitution of India.

16. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1988-89 No. (Revenue Rcceipts) of the Government of Haryana in pursua of the prcvision of Clause (2) of Aricle 151 of the Contittion of India

वर्श 1984–85 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब फाईनैस मिनिस्टर साहब ईयर 1984–85 की एक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ान पे ा करेंगे।

Revenue Miaister (Chaudhry Tayyab Hussain): Sir, I beg to prisent the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1984-85.

वि ोशधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(I) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जीव के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब चौधरी सतबीर सिंह कादयान एम0 एल0 ए0 चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, 12–9–1987 को श्री हजारी लाल, डिप्टी सुप्रिन्टैडैंट पुलिस, जीन्द द्वारा टेलीफोन पर श्री डी0 डी0 मंत्री, एम0 एल0 ए0 एंड हाउस के अगेंस्ट मोस्ट डैरोगेटरी, इंस्लटिंग एंड कंटैम्पचुअस लैगवेज यूज करने संबंधी अभिकथित वि ोशाधिकार भंग के प्र न के इ ा पर कमेटी की एटथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैट करेंगे तथा टाइम एक्सटै ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Shri Satbir Singh Kadian (Chariman, Committce of Privileges): Sir, I beg to present the Eighth preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard

to the question of alleged brcach of Privilege against Shri Hazari Lal, Deputy Superintendent of Police, Jind in respect of his using most derogatory, insulting and contemptuous language againts Shri D.D Attri M.L.A and the House no 12th September, 1987 on phone.

Sir I also beg to move-

That the time for the presenttion of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) श्री इन्द सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम0 एल0 एज0 के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री सतबीर सिंह कादियान, एम0 एल0 ए0 चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, श्री इन्द्र सिंह नैन और श्री भले राम, ऐक्स एम0 एल0 ए0 द्वारा 21 दिसम्बर, 1987 को सै ान में

उपस्थित होने के लिए हरियाणा विधान सभा की और आते समय माननीय चौधरी देवी लाल, उस समय मुख्य मंत्री तथा संधश्री वासुदेव भार्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम0 एल0 एज0 को रोकने तथा हाथापाई करने संबंधी अभिकथित वि ोशधिकार भंग करने के प्र न संबंधी मामले पर समिति की सैक्ंथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटै ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Shri Satbir Singh Kadian (Chairman, Committce of Privileges): Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Priviges with regard to the question of alleged breach of privilge against Shri Inder Singh Nain and Shri Bhalle Ram Ex-M.L.As in regard to the obstruction and manhandling of (the then) Hon'ble Chief Minister and Sarvshri Vasudev Sharma, Mange Ram and Dhir Pal. M.L.As while they were comeing towaids the Haryana Vidhan Sabha to attend the Session on 21nt December, 1987.

Sir I also beg to move-

That the time for the presenttion of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) साप्ताहिक पींग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रका ाक थी डी0 आर0 चौधरी के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री सतबीर सिंह कादियान एम0 एल0 ए0 चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी 26 अगस्त, 1988 को श्री डी0 आर0 चौधरी, ऐडीटर, प्रिंटर एंड पब्लि ान ऑफ दि वीकली पींग द्वारा आनरेबल मैम्बर्ज ऑफ दि हाउस एंड (उस समय) डिप्टी चीफ मिनिस्टर, श्री बी0 डी0 गुप्ता के अगेंस्ट सीरिस ऐलीगे ांज और करप् ान एंड यूजिंग वैरी डैरोगेटरी लैग्वेज के इ ू पर कमेटी की फिफथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैं ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Shir Satbir Singh Kadian (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Shri D.R. Chaudhary, Editor, Printer and Publisher of the Weekly Peeng in regard to Publishing Libellous matters in its issue dated 26-8-1988, Marking serious allegat ons of corruption and using very derogatory language against the Hon'ble Member of this House and (the then) Deputy Chif Minister, Shri B.D.Gupta.

Sir I also beg to move-

That the time for the presenttion of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री पनमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रेफिक तथा सुरजीत सिंह, कांस्टेबल के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री सतबीर सिंह कादियान, एम0 एल0 ए0 चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी 10 मार्च, 1989 को विधान सभा के सै ान को अटैड करने के लिए था रहे सर्वश्री योगे ा चन्द भार्मा एड सुरेन्द्र कुमार मदान, एम0 एल0 ए0 के साथ मिसबिहेवियर करने तथा उन्हें रोकने के लिए चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक और सुरजीत सिंह, कांस्टेबल, के विरूद्ध अभिकर्शित वि ोशाधिकार भंग करने के प्र ान के इ ू पर कमेटी की फीर्थ प्रिलिसमिनरी रिपोर्ट प्रैजैट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटै ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Shir Satbir Singh Kadian (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Sarvishri Parmijit Singh, Head Constabler Tiaffcand Surjit Singh, Constable of Chandigard Polixe in regard to misbehaviou and obstructing Sarvshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Mandan, M.L.Aa while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March, 1989.

Sir I also beg to move-

That the time for the presenttion of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) श्री रघु यादव, एम0 एल0 ए0 (अब भूतपूर्व एम0 एल0 ए0) के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री सतबीर सिंह कादियान, एम0 एल0 ए0 चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी 12 मार्च, 1989 को रघु यादव एम0 एल0 ए0 (अब भूतपूर्व एम0 एल0 ए0) द्वारा डेली नै ानल हेरल्ड में प्रैस स्अेटमैंट देकर स्पीकर की इम्पाि ायलिटी पर रिफ्लेक ान डालने के इ ू पर कमेटी की फोर्थ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजेट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैं ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Shri Satbir Kadian (Chairman Committee of Privileages): Sir, I beg to present the Fourth Praliminary Report of the Committee of Priviges with regard to the question of alleged brech of privllege against Shri Raghu Yadav M.L.A(Now Ex-M.L.A) in regrd to the Press Statement given by him, pubished in the daily National Herald dated 12th March, 1989 casting reflections on the impartialiy of the Hon'ble Speaker.

Sir I also beg to move-

That the time for the presenttion of the final Report to the House be extended up to the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्श 1984–85 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब वर्श 1984–85 के ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रान्टस ऐण्ड ऐप्रोप्रिए ांज पर डिस्क ान होगी।

हाउस का टाइम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई all the demands for the year 1984-85 will be demed to have been read moved. आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है लेकिन डिस्क ान सटार्ट करने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दे, जिसको वे डिसकस करना चाहते है। डिसक ान के बाद डिमांडज वोटिंग के लिए पुट की जाएंगी।

That a grant of a sum not exceding Rs. 7,79.079 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.2-General Admisitration.

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,10.63,226 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.4-Revenue.

That a grant of a sum not exceding Rs. 1,65,20.124 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.6-Finance.

That a grant of a sum not exceding Rs. 3,09,50,893 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.8-Building& Roads.

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,68,102 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.11-Urban Deve lopment.

That a grant of a sum not exceding Rs. 1,40,620 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.14- Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceding Rs. 26,31,56,659 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.15 Irrigation.

That a grant of a sum not exceding Rs. 16,48,503 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.16-Industries.

That a grant of a sum not exceding Rs. 57,699 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.17-Agriculture.

That a grant of a sum not exceding Rs. 13,237 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.19- Fisheries.

That a grant of a sum not exceding Rs. 16,96,119 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.20- Forests

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,67,16,086 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.21- Community Development.

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,24,57,870 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.23- Transpos.

That a grant of a sum not exceding Rs. 91,90,847 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.24-Tourism.

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नही हुआ)

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 7,79.079 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.2-General Admisitration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,10.63,226 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 1,65,20.124 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.6-Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 3,09,50,893 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.8-Building& Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,68,102 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.11-Urban Deve lopment.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 1,40,620 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.14- Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceding Rs. 26,31,56,659 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.15 Irrigation.

That a grant of a sum not exceding Rs. 16,48,503 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.16-Industries.

That a grant of a sum not exceding Rs. 57,699 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 13,237 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.19- Fisheries.

That a grant of a sum not exceding Rs. 16,96,119 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.20- Forests

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,67,16,086 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.21- Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceding Rs. 2,24,57,870 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.23- Transpos.

That a grant of a sum not exceding Rs. 91,90,847 be made to regularise the charges a fready incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1984-85 in respectg of Demand No.24-Tourism.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

15.56 बजे

(तत्प चात सदन मंगलवार, 4 सितम्बर, 1990, प्रातः 9. 30 बजे तक स्थागित हुआ।)

ANNEXURE-A

Repair of Rainy Streams in Faridabad

***1151. Shri Kundan Lal Bhatla:** Will the Minister for Loeal Go vernment be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the Rainy Strems (Nalas) in Faridabad are not working properly;

(b) if so, wherther there is any scheme under coniseration of the Government to remodel the aforesaid strems; and

(c) if so, the time by which these are likely to be remodelled?

स्थानीय भाासन मंत्री (श्री सुभाश कटियाल):

(क) फरीदाबाद न्यू टाऊन व पुराने फरीदाबाद भाहर के बरसाती नालों में बरसात के पानी का ठहराव नहीं होता।

(ख) फरीदाबाद न्यू टाऊन व पुराने फरीदाबाद भाहर में वर्तमान बरसाती नालो को पुननिर्माण करने की कोई योजना नही है।

(ग) उपरोक्त (ख) में वर्णित उतर के दृश्टिगत इसका उतर नही में आया जाए।